दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 11.01.2016 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 3.30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थिति:

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	सदस्य
3.	प्रो0 रामबरन पटेल	सदस्य
4.	प्रो0 डी0एन0 यादव	सदस्य
5.	डॉ0 (श्रीमती) शोभा गौड़	सदस्य
6.	डॉ0 यशवन्त सिंह	सदस्य
7.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
8.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
11.	डॉ0 विश्व दीपक	सदस्य
12.	डॉ0 महेश्वर सिंह	सदस्य
13.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
14.	मा0 न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह	सदस्य
15.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी
16.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक
17.	श्री प्रभाष द्विवेदी	कुलसचिव / सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा, आचार्य –गणित एवं सांख्यिकी विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं सभा को माननीय कुलाधिपति द्वारा नवनामित सदस्य प्रो0 एच0पी0 तिवारी, पूर्व कुलपति, 389, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद; डॉ0 हर्मेश सिंह चौहान, वैज्ञानिक जी, सीमैप, कुकरैल पिकनिक स्पॉट, लखनऊ; श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी, पुलिस महानिदेशक (सेवानिवृत्त), बी–481, विशाल खण्ड–3, गोमती नगर, लखनऊ; मा0 न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह, बी–1/289, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं प्रो0 राम बरन पटेल, आचार्य–भूगोल विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् नवागत कुलसचिव श्री प्रभाष द्विवेदी का

परिचय कराते हुए उनको बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की –

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 27.03.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 27.03.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।**
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 27.03.2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। **कार्य परिषद् अपनी बैठक दिनांक 27.03.2015 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
3.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 02.05.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 02.05.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।**
4.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 02.05.2015 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 02.05.2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
5.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.05.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 29.05.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।**
6.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.05.2015 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 29.05.2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
7.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 09.07.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 09.07.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।**

8.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 09.07.2015 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 09.07.2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
9.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.08.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 14.08.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।**
10.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.08.2015 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 14.08.2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
11.	वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.06.2015 की संस्तुतियों पर विचार। **कार्य परिषद् वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.06.2015 की संस्तुतियों से अवगत हुई एवं वित्त समिति में लिये गये निर्णयों पर स्वीकृति प्रदान की।**
12.	विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 27.06.2015, जिसको कुलपति जी ने कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 27.06.2015, जिसको कुलपति जी ने कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की है, से अवगत हुई एवं स्वीकृति प्रदान की।**
13.	श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के प्रमुख सचिव के पत्र सं0 690/जी0एस0 दिनांक 09.02.2015 जो डॉ0 अमरेश चन्द्र शुक्ल, पूर्व उपाचार्य–समाजशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गो0वि0वि0 के पत्र दिनांक 12.06.2014 के सन्दर्भ में है, पर विचार (प्रतिलिपि संलग्न)। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि कार्य परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तरवार आख्या तैयार कर विषय प्रस्तुत किया जाय।**
14.	कार्यालय ज्ञाप सं0 4771/सा0प्र0/2015 दिनांक 22.05.2015 द्वारा डॉ0 रजनीकान्त पाण्डेय, सहयुक्त आचार्य एवं अध्यक्ष– राजनीतिशास्त्र विभाग की नियुक्ति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के अन्तरिम कुलपति पद पर होने के फलस्वरूप दिनांक 23.05.2015 से एक वर्ष के लिये असाधारण अवकाश स्वीकृत

y.A.

	करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
15.	संशोधित कार्यालय आदेश सं0 4750/सा0प्र0/2015 दिनांक 20.05.2015 द्वारा डॉ0 संजय बैजल, आचार्य, वाणिज्य विभाग को अग्रिम आदेश तक दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के एलुमनाई परिषद् के अध्यक्ष की नियुक्ति से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
16.	कार्यालय आदेश सं0 4776/सा0प्र0/2015 दिनांक 24.05.2015 द्वारा डॉ0 (श्रीमती) विनीता पाठक, सहयुक्त आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग को एक वर्ष अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो, तक के लिये राजनीतिशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष की नियुक्ति से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
17.	कार्यालय आदेश सं0 4794/सा0प्र0/2015 दिनांक 30.05.2015 द्वारा डॉ0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सहयुक्त आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिय अधिष्ठाता– छात्र कल्याण के नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
18.	कार्यालय आदेश सं0 : 4800/सा0प्र0/2015 दिनांक 01.06.2015 द्वारा डॉ0 हिमांशु पाण्डेय, सहयुक्त आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग को विश्वविद्यालय अतिथि गृह का संयोजक नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
19.	कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.09.2014 के अनुपालन में डॉ0 नन्दिता सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष–अंग्रेजी विभाग के दिनांक 11.05.2015 से 05.06.2015 तक विदेश प्रवास पर होने के कारण उक्त अवधि में विभाग की वरिष्ठतम् आचार्य डॉ0 विनोद सोलंकी द्वारा विभागाध्यक्ष का कार्य देखने सम्बन्धी कार्यालय आदेश सं0 4767/सा0प्र0/2015 दिनांक 22.05.2015 से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
20.	श्री अखिलेश कुमार पाल, उप कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक का स्थानान्तरण सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर हो जाने के फलस्वरूप डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह, उप कुलसचिव को परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किये जाने सम्बन्धी कार्यालय आदेश सं0 4687/सा0प्र0/2015 दिनांक 05.05.2015 से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।

21.	कार्यालय आदेश सं0 4933/सा0प्र0/2015 दिनांक 09.07.2015 द्वारा डॉ0 कीर्ति पाण्डेय, आचार्य–समाजशास्त्र विभाग का महारानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास के अभिरक्षक पद पर कार्यकाल अगले आदेश तक विस्तारित करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
22.	कार्यालय आदेश सं0 4882/सा0प्र0/2015 दिनांक 02.07.2015 द्वारा डॉ0 आर0पी0 शुक्ल, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग को दिनांक 05.07.2015 से तीन वर्ष अथवा सेवा निवृत्ति तक या अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये वनस्पति विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
23.	कार्यालय ज्ञाप सं0 : 4867/सा0प्र0/2015 दिनांक 25.06.2015 द्वारा डॉ0 एस0के0 सिंह, सहयुक्त आचार्य, भूगोल विभाग को रेमेडियल कोचिंग सेण्टर एवं डॉ0 गौरहरि बेहरा, सहयुक्त आचार्य– अंग्रेजी विभाग को यू0जी0सी0 की नेट परीक्षा के प्रशिक्षण का संयोजक नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
24.	प्रमुख सचिव श्री कुलाधिपति महोदय के पत्र संख्या ई–2345/जी0एस0 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 50(4) के अधीन इस विश्वविद्यालय के प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग में स्वीकृत निदेशक–1 पद, सहायक निदेशक–1 पद एवं परियोजनाधिकारी– 02 पद को क्रमशः आचार्य, सहयुक्त आचार्य एवं सहायक आचार्य पद पर नियुक्त व्यक्तियों की अधिवर्षिता आयु 60 से 62 कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत पत्र संख्या 4673/सा0प्र0/2015 दिनांक 29.04.2015 के स्थान पर संशोधित कार्यालय आदेश सं0 5232/सा0प्र0/15 दिनांक 21.09.2015 से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग में कार्यरत परियोजना अधिकारियों के सम्बन्ध में निर्गत संशोधित कार्यालय आदेश सं0 5232/सा0प्र0/15 दिनांक 21.09.2015 को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय शिक्षकों की भाँति सत्र लाभ देने का निर्णय लिया।**
25.	कार्यालय ज्ञाप संख्या 4358/सा0प्र0/2015 दिनांक 31.03.2015 जो डॉ0 आनन्द कुमार जायसवाल, परियोजना अधिकारी का पद नाम प्रमुख सचिव श्री कुलाधिपति महोदय के पत्र संख्या ई–2345/जी0एस0 दिनांक 31.03.2015 द्वारा सहायक आचार्य हो जाने के कारण 60 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश पत्रांक 4553/सा0प्र0/2015 दिनांक 31.03.2015 को निरस्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**

26.	कार्यालय आदेश सं0 4567/सा0प्र0/2015 दिनांक 01.04.2015 द्वारा डॉ0 जे0एल0 उपाध्याय, ग्रन्थालयी के दिनांक 31.03.2015 को सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मध्य0इतिहास विभाग को मानद ग्रन्थालयी के रूप में एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
27.	कार्यालय आदेश सं0 4593/सा0प्र0/2015 दिनांक 04.04.2015 द्वारा प्रो0 प्रकाश चन्द्र शुक्ल, अधिष्ठाता– वाणिज्य संकाय को आदेश की तिथि से अगले आदेश तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये व्यवसाय प्रशासन विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
28.	कार्यालय ओदश सं0 4592/सा0प्र0/2015 दिनांक 04.04.2015 द्वारा डॉ0 कीर्ति पाण्डेय, आचार्य– समाजशास्त्र विभाग को एकेडेमिक स्टाफ कालेज के निदेशक के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
29.	कार्यालय आदेश सं0 दी0द0उ0गो0वि0वि0/सा0प्र0/2015/5026 दिनांक 30 जुलाई, 2015 द्वारा डॉ0 विपुला दूबे, अध्यक्ष– प्राचीन इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 30.07.2015 को पूर्ण होने के पश्चात् चक्रानुक्रम के अन्तर्गत डॉ0 राजवन्त राव, आचार्य– प्राचीन इतिहास विभाग को दिनांक 31.07.2015 से तीन वर्ष अथवा कोई अन्य आदेश होने, जो भी पहले हो, तक के लिए प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
30.	डॉ0 जी0एस0 तिवारी, आचार्य, विधि विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर जो वर्तमान में डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में आचार्य के पद पर नियुक्त हैं का तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी पत्र दिनांक 16.07.2013 एवं सेवानिवृत्तिक लाभ डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में स्थानान्तरित करने पर विचार। कार्य परिषद् ने डॉ0 जी0एस0 तिवारी, आचार्य, विधि विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर जो वर्तमान में डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में आचार्य के पद पर नियुक्त हैं का तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी पत्र दिनांक 16.07.2013 को स्वीकार किया एवं सेवानिवृत्तिक लाभ डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में स्थानान्तारित करने की अनुमति प्रदान की।

31.	श्री संजीव कुमार गुप्ता, व0प्र0 सहायक, वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप दिनांक 02.02.2015 से दिनांक 01.02.2016 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने श्री संजीव कुमार गुप्ता, व0प्र0 सहायक, वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप दिनांक 02.02.2015 से दिनांक 01.02.2016 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया।**
32.	डॉ0 परमहंस पाठक, सहयुक्त आचार्य, प्राणिविज्ञान विभाग की उपाचार्य पद पर अर्हता तिथि दिनांक 29.06.2010 निर्धारित करने पर विचार। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्देश दिया कि कार्य परिषद् की अगली बैठक में पूरे तथ्यों/आख्या सहित प्रकरण प्रस्तुत किया जाय।**
33.	पत्रांक संख्या : 5175/सा0प्र0/2015 दिनांक 02.09.2015 जो डॉ0 हिमांशु चतुर्वेदी, अध्यक्ष– इतिहास विभाग को कला संकाय भवन का संयोजक नियुक्त करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
34.	पत्रांक संख्या : 5176/सा0प्र0/2015 दिनांक 02.09.2015 जो डॉ0 (श्रीमती) निधि चतुर्वेदी, सहयुक्त आचार्य– इतिहास विभाग को महिला विभाग का संयोजक एवं डॉ0 (श्रीमती) सुषमा पाण्डेय, सहयुक्त आचार्य– शिक्षाशास्त्र विभाग को सह–संयोजक नियुक्त करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
35.	कार्यालय आदेश सं0 : 5174/सा0प्र0/2015 दिनांक 02.09.2015 जो डॉ0 (श्रीमती) शोभा गौड़, सहयुक्त आचार्य– शिक्षाशास्त्र विभाग एवं डॉ0 (श्रीमती) सरिता पाण्डेय, सहयुक्त– आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग की वरिष्ठता सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
36.	कार्यालय आदेश सं0 5172/सा0प्र0/2015 दिनांक 01.09.2015 द्वारा प्रो0 लालजी त्रिपाठी, आचार्य– शिक्षाशास्त्र विभाग का अधिष्ठाता शिक्षा संकाय के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप शिक्षाशास्त्र विभाग की वरिष्ठ आचार्य डॉ0 (श्रीमती) शैलजा सिंह को दिनांक 01.09.2015 से तीन वर्ष अथवा उनकी सेवा निवृत्ति तिथि जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय एवं अध्यक्ष–प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
37.	कार्यालय आदेश सं0 5167/सा0प्र0/2015 दिनांक 31.08.2015 जो डॉ0 ऊषा सिंह, सहयुक्त आचार्य, ललित कला एवं संगीत विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

	से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश या उनकी सेवानिवृत्ति तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए ललित कला एवं संगीत विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
38.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 27.03.2015 के संकल्प संख्या– 28 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभूतियों/महानुभावों की मूर्ति लगाने एवं अन्य माँगों के सम्बन्ध में विचार करने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार। कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 27.03.2015 के संकल्प संख्या– 28 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभूतियों/महानुभावों की मूर्ति लगाने एवं अन्य माँगों के सम्बन्ध में विचार करने हेतु गठित समिति की संस्तुति सम्बन्धी लिफाफा खोला गया। समिति की संस्तुति निम्नवत् है– (1) समिति ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 23.04.2003 के संकल्प संख्या 23 (क) को संज्ञान में लिया, जिसके द्वारा निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया– 23. क– परिषद ने विश्वविद्यालय परिसर में स्व0 डॉ0 सुरतिनारायण मणि त्रिपाठी एवं अन्य महानुभावों की मूर्ति स्थापित किये जाने के विषय में तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों पर विचार–विमर्श करने एवं अपनी संस्तुति देने हेतु कार्य परिषद की बैठक दिनांक 13.11.2000 के संकल्प संख्या –46 तथा 12.11.2002 के संकल्प संख्या 41 द्वारा गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 19.4.2003 की निम्नलिखित संस्तुति पर विचार किया। "विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी महानुभाव की मूर्ति लगाना विश्वविद्यालय के हित में नहीं होगा । समिति यह संस्तुति करती है कि शासन के अद्यतन आदेशानुसार मूर्ति लगाने में यदि अति तत्परता अपेक्षित हो तो स्थानीय प्रशासन स्व0 सुरति नारायण मणि त्रिपाठी जी की तैयार नौ फुट की कॉस्य मूर्ति को परिसर के बाहर उपयुक्त स्थल पर लगवाने की व्यवस्था कर सकता है।" संस्तुति पर परिषद के एक माननीय सदस्य श्री श्रीबिलास मणि त्रिपाठी अपनी असहमति एवं विरोध जताते हुए बैठक से उठकर बाहर चले गये । तदुपरान्त परिषद के शेष समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से संस्तुति को स्वीकार किया। तथा समिति कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2011 के बिन्दु संख्या– 1 (घ) को भी संज्ञान में लिया, जिसके द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है– "एक सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय में मूर्ति स्थापना के एक प्रस्ताव को कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया गया। कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए यह कहा कि इस सम्बन्ध में कार्यपरिषद द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय यथावत रहेंगे तथा विश्वविद्यालय परिसर में कोई मूर्ति नहीं लगायी जायेगी। इस क्रम में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कमेटी कक्ष में स्थापना समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के तैल चित्र/चित्र लगाये जांय।"

	तत्क्रम में समिति का यह मत है कि विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न महानुभावों की मूर्तियाँ स्थापित करने का प्रकरण कार्य परिषद् के उपर्युक्त निर्णयों के यथावत् बने रहने की स्थिति में उपसमिति विधिक रूप से कोई अन्यथा निर्णय लेने में असमर्थ अनुभव करती है। अतः कार्य परिषद् द्वारा अपने स्तर पर इस प्रकरण पर विचार कर ही अग्रेतर कार्यवाही के सन्दर्भ में कोई निर्णय लिया जाना उचित होगा। (2) बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर से सम्बन्धी सिद्धान्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में रखने पर यह संस्तुत करती है कि इस प्रकरण को अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम समिति को संदर्भित किया जाय। (3) समाजशास्त्र विभाग के अन्तर्गत डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर शोध पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में समिति यह संस्तुत करती है कि इस प्रकरण को समाजशास्त्र विभाग के माध्यम से विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। (4) विधि संकाय भवन का नामकरण डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर के नाम से रखने पर विचार करते हुए समिति यह संस्तुत करती है कि इस प्रकरण को विधि संकाय परिषद् के माध्यम से विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। (5) अनुसूचित जाति एवं जनजाति में से मेधावी छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर फेलोशिप के प्रकरण पर विचार करते हुए समिति संस्तुत करती है कि इस प्रकरण को विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। कार्य परिषद् ने समिति द्वारा की गयी उपर्युक्त संस्तुतियों को स्वीकार किया। माननीय सदस्य श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी ने कहा कि स्व0 डॉ0 सुरति नारायण मणि त्रिपाठी की मूर्ति स्थापित करने से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ प्रकरण कार्य परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
39.	अधीक्षक– अपराध शाखा, लखनऊ के पत्र सं0 सी0बी0–156/2012 (जीकेआर) दिनांक : गो0 06 फरवरी, 2015 पर विचार (बन्द लिफाफा सदन पटल पर खोला जायेगा)। अधीक्षक– अपराध शाखा, लखनऊ से प्राप्त बन्द लिफाफे को खोला गया तथा रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट पर कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों– स्ट्रांग रूम के कर्मचारी श्री हरीसिंह रावत व श्री राजेश कुमार, सहायक कार्यालय अधीक्षक– स्ट्रांग रूम तथा तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रो0 निजेन्द्र नाथ त्रिपाठी एवं डॉ0 संजय कुमार त्रिपाठी, प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष– सरस्वती देवी महाविद्यालय, नन्दापार, गोरखपुर के विरुद्ध विभागीय जाँच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।
40.	शासनादेश सं0 8/4/1/2002 टीसी/1–2/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0 5193/सा0प्र0/2015 दिनांक 03.09.2015, जो अनुसूचित जाति के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
41.	कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु

	सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 में तीन आचार्यों के चयन सम्बन्धी लिफाफा खोलने पर विचार। कार्य परिषद् इस तथ्य से अवगत हुई कि कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 में तीन आचार्यों के चयन सम्बन्धी लिफाफा खोले जाने के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति महोदय से अनुमति मांगी गयी थी। राजभवन से प्राप्त पत्र के क्रम में राजभवन को पुनः पत्र प्रेषित किये गये।
42.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 01.12.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 01.12.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।**
43.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 01.12.2015 के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 01.12.2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
44.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत प्राणि विज्ञान विषय में स्टेज एक से दो (ए0जी0पी0 6,000–7,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर विचार। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 18.12.2015 की संस्तुति को स्वीकार करते हुए–** **(क) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 श्री कृष्ण तिवारी, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– प्राणि विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 22.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।** **(ख) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 सुनील कुमार श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– प्राणि विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 22.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।** **(ग) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 विनय कुमार सिंह, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– प्राणि विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0**

	₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 22.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (घ) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 केशव सिंह, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– प्राणि विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 22.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
45.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत वनस्पति विज्ञान विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न चयन समिति की संस्तुति पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 अनिल कुमार द्विवेदी, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– वनस्पति विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 20.04.2012 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 18.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
46.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत गृहविज्ञान विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 दिव्या रानी सिंह, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– गृह विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 23.07.2012 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 18.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
47.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– कम्प्यूटर साइंस विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 03.11.2012 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 18.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।

48.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 18.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मनीष मिश्र, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– इलेक्ट्रानिक्स विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 20.07.2012 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 18.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
49.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 19.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 अवनीश राय, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– अंग्रेजी विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 13.12.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 19.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
50.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत इतिहास विषय में स्टेज एक से दो (ए0जी0पी0 6,000–7,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 20.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 20.12.2015 की संस्तुति को स्वीकार करते हुए– (क) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– इतिहास विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 22.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया। (ख) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मनोज कुमार तिवारी, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– इतिहास विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 22.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।

51.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत संस्कृत विषय में स्टेज एक से दो (ए0जी0पी0 6,000–7,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 20.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मधु सत्यदेव, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– संस्कृत विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 22.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 20.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
52.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास विषय में स्टेज एक से दो (ए0जी0पी0 6,000–7,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 21.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 21.12.2015 की संस्तुति को स्वीकार करते हुए– (क) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 राम प्यारे मिश्रा, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– प्राचीन इतिहास विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 22.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया। (ख) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 ध्यानेन्द्र नारायण दूबे, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– प्राचीन इतिहास विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 22.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
53.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान विषय में स्टेज एक से दो (ए0जी0पी0 6,000–7,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 21.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 निशा जायसवाल, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– राजनीति विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 22.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 21.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।

y.12.

54.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 21.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 कमलेश कुमार गौतम, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– प्राचीन इतिहास विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 08.03.2011 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 21.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
55.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 21.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 आलोक कुमार गोयल, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– अर्थशास्त्र विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 19.07.2012 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 21.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
56.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत भूगोल विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 21.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 नरेन्द्र कुमार राना, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– भूगोल विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 13.09.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 21.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
57.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत हिन्दी विषय में स्टेज एक से दो (ए0जी0पी0 6,000–7,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 22.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 प्रेमव्रत तिवारी, सहायक आचार्य, (स्टेज एक) ए0जी0पी0 ₹ 6,000/– हिन्दी विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज दो) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं

y. ?-

	ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 11.03.2011 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 22.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
58.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत हिन्दी विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 22.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 बिमलेश कुमार मिश्र, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– हिन्दी विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 20.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 22.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
59.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 22.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 उदय सिंह, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– शिक्षाशास्त्र विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 12.05.2012 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 22.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
60.	यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000–8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 22.12.2015 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 विजय चाहल सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/– शारीरिक शिक्षा विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– में अर्हता तिथि दिनांक 05.09.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 22.12.2015 की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
61.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6 के पत्र संख्या 1740/सत्तर–6–2015–111/2015 दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 के क्रम में कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2015–16 हेतु गोरखपुर विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के 25

y.a.

महाविद्यालयों एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अन्तर्गत 12 महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण पर विचार (प्रतिलिपि संलग्न)।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि शैक्षणिक सत्र 2015–16 हेतु गोरखपुर विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के 25 महाविद्यालयों एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अन्तर्गत 12 महाविद्यालयों के सम्बद्धता सम्बन्धी प्रस्तावों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल याचिक सं0 42328/2015; में पारित आदेश दिनांक : 19.08.2015 एवं स्पेशल अपील संख्या : 609/2015 एवं 610/2015 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2015 के अनुपालन में उक्त महाविद्यालयों को सत्र 2015–16 की सम्बद्धता प्रदान न की जाय। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6 के पत्र संख्या 1740/सत्तर–6–2015–111/2015 दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का विवरण देते हुए शासन को, माननीय कार्य परिषद् के निर्णय से अवगत करा दिया जाय। सन्दर्भित महाविद्यालयों की सूची निम्नवत् है–

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के क्षेत्रान्तर्गत स्थित महाविद्यालय–

1. बाबू विश्राम सिंह महिला महाविद्यालय, रोहारी, गोरखपुर
2. नाथ चन्द्रावत महाविद्यालय, जगदीशपुर, कसया रोड, गोरखपुर
3. श्रीमती ज्ञान कुमारी कन्या महाविद्यालय, बथुआ पुरवा, गोरखपुर
4. महात्मा गांधी पी0जी0 कालेज, गोरखपुर
5. सागर मल बंका डिग्री कालेज, भटहट, गोरखपुर
6. स्वर्ण जयन्ती महाविद्यालय, पिपराईच, गोरखपुर
7. स्वर्ण जयन्ती महाविद्यालय, पिपराईच, गोरखपुर
8. दीप नारायण यादव महाविद्यालय, भलुआन, गोरखपुर
9. श्री संत कुमार सिंह महिला महाविद्यालय, दुघरा, संत कबीर नगर (गोरखपुर)
10. विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर
11. श्री राजरूप मेमोरियल महाविद्यालय, हरपुर बेलही, कुशीनगर
12. माता शिवराजी देवी बीर एकलव्य महाविद्यालय, जंगल बकुलहा, पडरौना, कुशीनगर
13. देवकी देवी महाविद्यालय, पगरा हाटा, कुशीनगर
14. बॉसदेव महाविद्यालय, गड़हिया, चिन्तामन, तरया सुजान, कुशीनगर
15. स्व0 श्रीमती रामा देवी महाविद्यालय, इन्द्रसेनवा, रामकोला, कुशीनगर
16. अनुरागी देवी महाविद्यालय, बहुआस, कुशीनगर
17. विद्यार्थी पी0जी0 कालेज, जगदीशपुर, बरडीहा, कुशीनगर
18. बबुआ जी स्नातक महाविद्यालय, पिण्डी, देवरिया
19. बबुआ जी स्नातक महाविद्यालय, पिण्डी, देवरिया
20. जय बहादुर शाही (जे0बी0एस0) महाविद्यालय, भिंगारी बाजार, देवरिया
21. सिद्दीक अहमद पी0जी0 कालेज, विस्तौली, देवरिया
22. रामजी सहाय पी0जी0 कालेज, रूद्रपुर, देवरिया
23. खुदैजा बीबी मख्दूम बक्श गर्ल्स डिग्री कालेज, देवरिया

	24. केवला सुन्दर महाविद्यालय, सांथीपार, गोरखपुर 25. शान्ती देवी मेमोरियल महिला पी0जी0 कालेज, पिपरामिश्र, लार रोड, देवरिया सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के क्षेत्रान्तर्गत स्थित महाविद्यालय 1. श्री राम सहाय सिंह कन्या महाविद्यालय, महरीपुर, बस्ती 2. परमहंस पाल महाविद्यालय, मुरली सबया, सिसवां बाजार, महराजगंज 3. छोटेलाल दामोदर प्रसाद शिब्बन लाल डिग्री कालेज, बीसोखोर, महराजगंज 4. राजीव गांधी पी0जी0 कालेज, नौतनवा, महराजगंज 5. राजेन्द्र प्रसाद तारा चन्द्र महाविद्यालय, निचलौल, महराजगंज 6. जय गुरुदेव राम सुमिरन राम कृपाल महाविद्यालय, कलिन्द्र हरदो, संत कबीर नगर 7. शारदा देवी मेमोरियल महाविद्यालय, मगहर, संत कबीर नगर 8. जीरा देवी महाविद्यालय, कोल्हुआ, लकड़ा, उतरावल, संत कबीर नगर 9. माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय महाविद्यालय, खलीलाबाद, संत कबीर नगर 10. बाबा मोलन सिंह स्मारक महाविद्यालय, बैजनाथपुर, संत कबीर नगर 11. पं0 चन्द्रदेव पाण्डेय महाविद्यालय, कौलहीं, हैंसर बाजार, संत कबीर नगर 12. उमा महेश्वर महाविद्यालय, भोगीपुर, संत कबीर नगर कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने सागर मल बंका डिग्री कालेज, भटहट, गोरखपुर को निर्गत सम्बद्धता पर सन्देह व्यक्त किया और कहा कि उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कर लिया जाय। यदि कोई अनियमितता पायी जाती है, तो सम्बद्धता निरस्त कर दी जाय।
62.	पत्रांक संख्या : 5393/सा0प्र0/2015 दिनांक 10.12.2015 जो मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत श्रीमती पूजा देवी पत्नी स्व0 शंकर कुमार गौड़ के परिचर पद पर नियुक्ति सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
63.	कार्यालय आदेश सं0 5396/सा0प्र0/2015 दिनांक 10.12.2015 जो चक्रानुक्रम में प्रो0 मिहिर राय चौधरी का विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त प्रो0 सुग्रीव नाथ तिवारी को दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति या अन्य कोई आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष–भौतिकी विभाग नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
64.	कार्यालय आदेश सं0 5409/सा0प्र0/2015 दिनांक 14.12.2015 जो विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–927/सत्तर–1–2015–सी.एम0.–78/2014 दिनांक 08.12.2015 तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक पी.ए./845 दिनांक 11.12.2015 के क्रम में एवं माननीय कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आदेशानुसार श्री प्रभाष द्विवेदी, को इस विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव पद पर दिनांक 14.12.2015 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

	कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
65	कार्यालय आदेश सं0 5413/सा0प्र0/2015 दिनांक 14.12.2015 जो चक्रानुक्रम में प्रो0 मुरली मनोहर पाठक का विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त डॉ0 छाया रानी, उपाचार्य को दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति या अन्य कोई आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष–संस्कृत विभाग नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
66.	कार्यालय आदेश सं0 5418/सा0प्र0/2015 दिनांक 15.12.2015 द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 04.11.2015 के बिन्दु संख्या 9 में लिये गये निर्णय एवं माननीय कुलपति के आदेश के अनुपालन में डॉ0 अजय कुमार शुक्ल, सहयुक्त आचार्य, अंग्रेजी विभाग को अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के पद पर दिनांक 26.11.2015 से एक वर्ष के लिए विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
67.	डॉ0 उमेश यादव, सहयुक्त आचार्य, भौतिकी विभाग के द्वारा रमन फेलोशिप के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन हेतु सम्बन्धित संस्थान–आइंस्टीन कालेज आफ मेडिसन–अमेरिका द्वारा प्रदान की गयी प्रगति रिपोर्ट से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
68.	विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.12.2015 की संस्तुतियों पर विचार। **कार्य परिषद् विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.12.2015 की संस्तुतियों पर कुलपति जी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 (6) में पारित आदेश से अवगत हुई एवं अपनी स्वीकृति प्रदान किया।**

कार्य परिषद् ने निम्नलिखित पूरक कार्यसूची पर विचार किया–

1. कार्य परिषद् ने श्री बी0बी0 सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 874/सत्तर–1–2015–55(2)/12 दिनांक 19 नवम्बर, 2015, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में सत्र 2011–12 की परीक्षा के प्रश्नपत्र आउट (लीक) हो जाने के प्रकरण में दर्ज मु0अ0सं0–194/12 थाना कैण्ट, जनपद–गोरखपुर की विवेचना के आधार पर कार्यवाही के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्रस्तुत करने (आश्वासन संख्या–133/2012) पर विचार किया।
   कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण पर मुख्य कार्यसूची के बिन्दु संख्या– 39 पर विचार किया जा चुका है।
2. कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश सं0 5454/सा0प्र0/2015 दिनांक 01.01.2016 जो चक्रानुक्रम में प्रो0 जनार्दन के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त प्रो0 चित्तरंजन मिश्र को

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति या अन्य कोई आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए विभागाध्यक्ष– हिन्दी विभाग नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया।

कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।

3. प्रो0 चित्तरंजन मिश्र, आचार्य–हिन्दी विभाग दिनांक 04.08.2014 से 03.08.2016 तक दो वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश पर थे। दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही डॉ0 मिश्र ने दिनांक 24.12.2015 को पूर्वाह्न मे अपने मौलिक पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार डा0 मिश्र को पूर्व में स्वीकृत दो वर्ष के असाधारण अवकाश के बीच में ही दिनांक 24.12.2015 को कार्यभार ग्रहण करने के कारण स्वीकृत दो वर्ष के असाधारण अवकाश में से दिनांक 24.12.2015 से 03.08.2016 तक के शेष असाधारण अवकाश को निरस्त करने पर विचार।

कार्य परिषद् अवगत हुई कि प्रो0 चित्तरंजन मिश्र, आचार्य–हिन्दी विभाग जो दिनांक 04.08.2014 से 03.08.2016 तक दो वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश पर थे, उन्होंने दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही दिनांक 24.12.2015 को पूर्वाह्न में अपने मौलिक पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार डा0 मिश्र को पूर्व में स्वीकृत दो वर्ष के असाधारण अवकाश के बीच में ही दिनांक 24.12.2015 को कार्यभार ग्रहण करने के कारण पूर्व स्वीकृत दो वर्ष के असाधारण अवकाश में से दिनांक 24.12.2015 से 03.08.2016 तक के शेष असाधारण अवकाश को निरस्त करने की अनुमति प्रदान की।

4. कार्यालय आदेश सं0 5467/सा0प्र0/2016 दिनांक 06.01.2016 जो चक्रानुक्रम में प्रो0 एच0एस0शुक्ल, अधिष्ठाता–विज्ञान संकाय का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता, आचार्य– रसायनशास्त्र विभाग को दिनांक 06.01.2016 से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति या अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता–विज्ञान संकाय नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार।

कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।

5. कार्यालय आदेश सं0 5472/सा0प्र0/2016 दिनांक 08.01.2016 जो उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–847/सत्तर–1–2016–16(28)/13 दिनांक 04.01.2016 के अनुपालन एवं माननीय कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आदेश दिनांक 06.01.2016 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1975 के नियम 21(3) के अन्तर्गत श्री प्रभाष द्विवेदी, उप कुलसचिव ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलसचिव पद पर दिनांक 06.01.2016 के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना।

कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।

6. श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, जिला जज, हापुड़ का दिनांक रहित पत्र जो "श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव एवं श्री शान्ति शरण श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण पदक" विधि विभाग में प्रदान करने के सम्बन्ध में है, पर विचार।

कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, जिला जज, हापुड़ के दिनांक रहित पत्र जो "श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव एवं श्री शान्ति शरण श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण पदक" विधि विभाग में प्रदान करने सम्बन्धी है, को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण पदक हेतु निर्धारित शुल्क रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) प्रति स्वर्ण पदक जमा करा लिया जाय।

69.	अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया-
(क)	यू0जी0सी0 विनियम जून-2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय में स्टेज दो से तीन (ए0जी0पी0 7,000-8,000) में प्रोन्नति हेतु दिनांक 07.01.2016 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की संस्तुतियों पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 07.01.2016 संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए- (क) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 अन्जू, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/- समाजशास्त्र विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600-39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/- में अर्हता तिथि दिनांक 01.08.2012 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (ख) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 सुभि धूसिया सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 ₹ 7,000/- समाजशास्त्र विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600-39,100 एवं ए0जी0पी0 ₹ 8,000/- में अर्हता तिथि दिनांक 20.07.2010 से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
(ख)	माननीय कुलपति जी ने दिनांक : 09.01.2016 को सम्पन्न कुलपति सम्मेलन में लिये गये इस निर्णय से अवगत कराया कि कार्य परिषद् की आगामी बैठकों की विडियो रिकार्डिग करायी जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

20/1/16

कुलसचिव
सदस्य-कार्य परिषद्

कुलपति
अध्यक्ष- कार्य परिषद्

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 15.02.2016 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 03.00 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थिति:

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
3.	प्रो0 आर0पी0 सिंह	सदस्य
4.	डॉ0 (श्रीमती) शोभा गौड़	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	डॉ0 यशवन्त सिंह	सदस्य
7.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
8.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 महेश्वर सिंह	सदस्य
11.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
12.	कुलसचिव	सचिव

बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व मा0 कुलपति जी ने कार्य परिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य डॉ0 विश्व दीपक, प्राणि विज्ञान विभाग, डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, गोरखपुर; प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अधिष्ठाता–विधि संकाय, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं प्रो0 डी0एन0 यादव, आचार्य– दर्शनशास्त्र विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को उनके द्वारा कार्य परिषद् की बैठकों में दिये गये योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया तथा नवागत सदस्य प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता, अधिष्ठाता– विज्ञान संकाय, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर; प्रो0 आर0पी0 सिंह, आचार्य–वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं डॉ0 (श्रीमती) सरोज श्रीवास्तव, भूगोल विभाग, डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, गोरखपुर का स्वागत किया।

तत्पश्चात् कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 13.02.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 13.02.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए स्वर्णपदक धारकों के अनन्तिम सूची के प्रश्न के उत्तर में स्वर्णपदक समिति के संयोजक प्रो0 अजेय कुमार गुप्ता ने सूचित किया

कि माननीय संसद सदस्य व महन्त योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित तीन स्वर्णपदक (1) महायोगी गुरु गोरक्षनाथ स्वर्णपदक; (2) ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ स्वर्णपदक व (3) ब्रह्मलीन महन्त अवेद्यनाथ स्वर्णपदक का निर्धारण समस्त सम्यक् प्रयासों के बावजूद अभी तक निर्णित नहीं हो सका है। इस पर मा0 कुलपति महोदय ने यह व्यवस्था दी कि महाराणा प्रताप परिषद् के उपाध्यक्ष एवं कार्य परिषद् के माननीय सदस्य प्रो0 यू0पी0 सिंह के साथ संयोजक अगले दिन एक बैठक कर समुचित समाधान प्राप्तकर स्वर्णपदक सूची को पूर्णकर लेवें।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 11.04.2016 का कार्यवृत्त

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
3.	प्रो0 रामबरन पटेल	सदस्य
4.	प्रो0 आर0पी0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	डॉ0 यशवन्त सिंह	सदस्य
7.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
8.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
11.	डॉ0 महेश्वर सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 (श्रीमती) सरोज श्रीवास्तव	सदस्य
13.	प्रो0 एच0पी0 तिवारी	सदस्य
14.	प्रो0 राजेन्द्र सिंह	विशेष आमंत्रित
15.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी
16.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक
17.	श्री प्रभाष द्विवेदी	कुलसचिव / सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्यसूची प्रस्तुत की –

1. कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया पर प्रो0 राजेन्द्र सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष–प्राणि विज्ञान विभाग के संयोजकत्व में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया पर प्रो0 राजेन्द्र सिंह, आचार्य एवं अध्यक्ष–प्राणि विज्ञान विभाग के संयोजकत्व में गठित समिति की

संस्तुतियों एवं विधिक राय को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 19 फरवरी, 2016 को निर्गत राजाज्ञा के अनुसार विज्ञापन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से विश्वविद्यालय में कार्यरत इन्स्ट्रक्टर को प्रवक्ता पद नाम दिये जाने हेतु प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, अधिष्ठाता— कला संकाय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयोजकत्व में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार किया गया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में कार्यरत इन्स्ट्रक्टर को प्रवक्ता पद नाम दिये जाने हेतु प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, अधिष्ठाता— कला संकाय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के संयोजकत्व में गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया एवं निर्णय लिया कि समिति की संस्तुति को परिनियमावली में समाहित करने हेतु कुलाधिपति महोदय को स्वीकृत्यर्थ भेजा जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 02.06.2015 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	सदस्य
3.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	सदस्य
4.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 डी0एन0 यादव	सदस्य
6.	डॉ0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	डॉ0 रुसीराम महानन्दा	सदस्य
8.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
9.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 के0के0 यादव	सदस्य
11.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
12.	कुलसचिव	सचिव

कार्य परिषद् की बैठक में वित्त अधिकारी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे ।

कार्य परिषद् की बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया।

कुलपति ने विश्वविद्यालय के सौहार्द्रपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कुलपति जी ने यह भी अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में सभी सहयोग से मूल्यांकन कार्य सम्पन्न हो रहा है एवं विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषित हो रहे हैं। सदस्यों ने इस हेतु कुलपति जी को बधाई दी। तत्पश्चात कार्य परिषद की बैठक में सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस विषय के सत्र 2013–14 में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के सम्बन्ध में राजभवन से प्राप्त पत्र संख्या : ई–4475/जी0एस0/2015(एन) दिनांक : 01 मई, 2015 पर विचार किया।

सर्वप्रथम कुलपति ने महाविद्यालय के स्नातक स्तर के सत्र 2013–14 कम्प्यूटर साइंस विषय के सम्पूर्ण तथ्यों, कार्य परिषद के पूर्व निर्णयों, कुलाधिपति कार्यालय से प्राप्त सभी पत्रों, विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के सम्बन्धित निर्णयों से सदन को अवगत कराया।

समस्त सदस्यों ने विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया कि–

(क) विश्वविद्यालय पूर्व कार्य परिषद की बैठक दिनांक 14.02.2015 में लिए गये निर्णय के आधार पर सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के विज्ञान संकाय के कम्प्यूटर साइंस विषय के सत्र 2013–14 में प्रवेशित छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया। इस विषय के विद्यार्थियों का स्नातक द्वितीय वर्ष में विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा, जिसके पश्चात् नियमानुसार आवश्यक शैक्षिक दिवस पूर्ण करते हुए इनकी अगली परीक्षा करायी जायेगी।

जैसा कि राज्यपाल महोदय के पत्र संख्या ई–4475/जी0एस0/2015(एस) दिनांक : 01 मई, 2015 में विधिक रूप से अनुमन्य समाधान के निर्देश प्राप्त हैं, अतः इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल से शीघ्र विधिक सहमति प्राप्त करते हुए किया जाय। सहमति प्राप्त होते ही इसका शीघ्र क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाय।

(ख) कार्य परिषद् ने सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज के भूमि सत्यापन के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, प्रशासन, गोरखपुर के पत्र सं0 532/आशुलि0(सदर) दिनांक मार्च 10, 2015, 531/आशुलि0(सदर) दिनांक मार्च 10, 2015, 530/आशुलि0(सदर) दिनांक मार्च 10, 2015 एवं 529/आशुलि0(सदर) दिनांक मार्च 10, 2015 के क्रम में प्राप्त जाँच आख्या के क्रम में प्राचार्य/सचिव, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर से 15 दिन के अन्दर विस्तृत आख्या प्राप्त कर लिया जाय। आख्या 15 दिन की समय सीमा के अन्दर न प्राप्त होने पर सदन कुलपति जी को विधिक कार्यवाही हेतु अधिकृत करती है।

(ग) अध्यक्ष ने कार्य परिषद् के सदस्यों को अवगत कराया कि इस वर्ष 2015 की यू0पी0 सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा का दायित्व दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को दिया गया है। अध्यक्ष की अनुमति से कार्य परिषद् ने सी0पी0एम0टी0 परीक्षा–2015 के बजट को अनुमोदित किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति

(2)

(1)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 18.05.2016 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 12.30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
3.	प्रो0 रामबरन पटेल	सदस्य
4.	प्रो0 आर0पी0 सिंह	सदस्य
5.	डॉ0 शोभा गौड़	सदस्य
6.	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	डॉ0 यशवन्त सिंह	सदस्य
8.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
9.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
12.	डॉ0 महेश्वर सिंह	सदस्य
13.	प्रो0 एच0पी0 तिवारी	सदस्य
14.	डॉ0 हर्मेश सिंह चौहान	सदस्य
15.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
16.	मा0 न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह	सदस्य
17.	वित्त अधिकारी	वित्त अधिकारी
18.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित
19.	श्री प्रभाष द्विवेदी	कुलसचिव / सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय की परीक्षा एवं परीक्षाफल के प्रगति तथा नये सत्र में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की प्रगति से अवगत कराया कि पहली जुलाई, 2016 विश्वविद्यालय का सत्र 2016–17 प्रारम्भ हो जायेगा। कुलपति जी ने यह भी अवगत कराया कि स्व0 मोहन सिंह के द्वारा भवन निर्माण हेतु सांसद निधि से उपलब्ध कराये गये रूपये दो करोड़ से निर्मित भवन में पूर्वांचल संग्रहालय की स्थापना की गयी है। इस संग्रहालय का उद्घाटन दिनांक 14.05.2016 को माननीय सांसद श्रीमती जया बच्चन एवं श्रीमती डिम्पल यादव तथा श्रीमती कनकलता सिंह ने किया। इस पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्यसूची प्रस्तुत की –

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 11.01.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 11.01.2016 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित संशोधन के साथ सम्पुष्ट किया– दिनांक 11.01.2016 की बैठक के कार्यवृत्त में कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अधिष्ठाता– विधि संकाय एवं प्रो0 यू0पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति "दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष में उनकी प्रतिमा परिसर में लगाने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से सहमति प्राप्त कर ली जाय। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को भेज दिया जाय" के संशोधन को स्वीकार किया।
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। • कार्य परिषद् अपनी बैठक दिनांक 11.01.2016 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही बिन्दु संख्या 13 पर निर्णय लिया कि डॉ0 अमरेश चन्द्र शुक्ल, पूर्व उपाचार्य–समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को नियमों के तहत किसी भी प्रकार का सेवानिवृत्तक लाभ देय होगा या नहीं होगा, क्योंकि वे यहाँ से बिना अनुमति लिए अन्यत्र कार्यरत रहे। इस प्रकरण पर गठित समिति की अन्तिम रिपोर्ट आने पर निर्णय होगा। • बिन्दु संख्या 32 पर निर्णय लिया कि डॉ0 परमहंस पाठक, सहयुक्त आचार्य, प्राणिविज्ञान विभाग एवं 6 अन्य को सहयुक्त आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हता निर्धारण करने हेतु रिसर्च एसोशिएट की सेवा को आगणित न किया जाय। • कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2016 के बिन्दु संख्या 41, जो कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति सम्बन्धी चयन समिति की बैठक दिनांक 07.08.2013 का लिफाफा खोलने सम्बन्धी है, पर निर्णय लिया गया कि माननीय कुलपति जी की तरफ से मा0 कुलाधिपति महोदय को पुनः एक अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किया जाय। • कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2016 के बिन्दु संख्या 38, जो विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न महानुभावों की मूर्ति स्थापित करने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्य

	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी ने विश्वविद्यालय परिसर में मूर्ति स्थापना से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया, जिसे कार्य परिषद् ने संज्ञान में लिया तथा इस पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण वर्ष 1996 से कार्य परिषद् के विचार–विमर्श हेतु आ रहा है तथा कार्य परिषद् द्वारा विभिन्न बैठकों में इस पर यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी की मूर्ति स्थापित न की जाय। अतः इस प्रकरण को यहीं अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया जाय। इस पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्य श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी ने अपनी आपत्ति दर्ज करायी। • सी0बी0सी0आई0डी0 की पेपर लीक की आख्या का अवलोकन करने एवं अपनी विभागीय जाँच आख्या प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित करने का अधिकार कार्य परिषद् ने माननीय कुलपति को प्रदान किया।
	कार्य परिषद् ने आकस्मिक बैठक दिनांक 15.02.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने आकस्मिक बैठक दिनांक 15.02.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्ट किया।**
4.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 15.02.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 15.02.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई तथा संतोष व्यक्त किया।**
5.	कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 11.04.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 11.04.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया।**
6.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 11.04.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 11.04.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई तथा संतोष व्यक्त किया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्य परिषद् की विशेष बैठक बुलाकर विचार किया जाय।**
7.	कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 11.01.2016 को संस्तुतियों पर विचार किया।

	बैठक दिनांक 11.01.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
8.	कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.02.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.02.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।**
9.	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.02.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.02.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।**
10.	कार्य परिषद् ने डॉ0 कनक त्रिपाठी डिग्री कालेज बरगदही, भटहट गोरखपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 6353/2016 डॉ0 कनक त्रिपाठी डिग्री कालेज बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश के संबंध में विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया कि पत्रांक सं0 : सम्बद्धता/2016/0072 दिनांक 23.01.2016 द्वारा सन्दर्भित महाविद्यालय के स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अतिरिक्त विषयों भूगोल एवं संस्कृत तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता एवं कक्षा संचालन निरस्त करने सम्बन्धी आदेश को स्वीकार किया।**
11.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 5735/सा0प्र0/2016 दिनांक 10/18.03.2016 जो मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व0 नरसिंह तिवारी के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में अस्थायी नियुक्ति से सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
12.	कार्य परिषद् ने पत्रांक सम्बद्धता/2016/250 दिनांक 08.03.2016 द्वारा बच्चा चन्द स्मारक द्वावा विकास महाविद्यालय, ओनापार बेलघाट, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 05.03.2016 के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय में दाखित रिट याचिका संख्या 10387/2016 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2016 के समादर तथा मा0 कुलपति के आदेश दिनांक 8.3.2016 में अनुपालन में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा विषय में सत्र 2015–16 में बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों की परीक्षा कराने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने बच्चा चन्द स्मारक द्वावा विकास महाविद्यालय, ओनापार बेलघाट, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 05.03.2016 के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय में दाखित रिट याचिका संख्या 10387/2016 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2016 के समादर तथा मा0 कुलपति के आदेश दिनांक

	सम्बद्धता प्राप्त कर लिये हैं, के प्रकरण पर विचार किया। कार्य परिषद् ने संदर्भित प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि चूँकि एन0सी0टी0ई0, जयपुर में इस प्रकरण पर दिनांक 19.05.2016 को बैठक हो रही है, इसलिए इस प्रकरण पर विचार करते हुए बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में माननीय कुलपति को नियमानुसार निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया। (विश्वविद्यालय के द्वारा बिना पैनल के नियुक्त शिक्षकों की सूची, जिन 22 महाविद्यालयों द्वारा एन0सी0टी0ई0 के नियम 7.16 के अन्तर्गत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है, उन पर विधिक राय लेकर नियमानुसार एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाय।)
18.	कार्य परिषद् ने शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर साइंस विषय की सम्बद्धता के विषय में सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा भेजे गये आख्या पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि जिलाधिकारी, गोरखपुर से प्राप्त आख्या के अनुसार चूँकि भूमि न तो महाविद्यालय के नाम अंकित है, न ही महाविद्यालय को संचालित करने वाली सोसाइटी के नाम अंकित है। ऐसी दशा में 21 अक्टूबर, 2005 के शासनादेश के अनुसार भूमि की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता प्रदान न करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, गोरखपुर की आख्या में यह इंगित किया गया है कि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत खतौनी फर्जी एवं कूटरचित है, इसलिए नियमानुसार महाविद्यालय के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाय। इस प्रकरण पर एक वाद माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, अतः माननीय उच्च न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया जाय।
19.	अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया–
1.	कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10.05.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 10.05.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।**
2.	कार्य परिषद् ने श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष– विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 11.05.2016, जो विश्वविद्यालय में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की सुविधा प्रथम नियुक्ति की तिथि से प्रदान कर दिया जाय।
3.	कार्य परिषद् ने डॉ0 ए0पी0 शुक्ल, आचार्य एवं अध्यक्ष, रक्षा एवं स्नातजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के

	8.3.2016 के अनुपालन में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान एवं शारीरिक शिक्षा विषय में सत्र 2015–16 में बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों की परीक्षा कराने को स्वीकार किया तथा सन्दर्भित विषयों में सम्बद्धता की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।
13.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश सं0 5688/सा0प्र0/2016 दिनांक 05.03.2016 द्वारा छात्रावास नियमावली के नियम 3.03 के अन्तर्गत डॉ0 श्रीमती मालविका श्रीवास्तव, सहयुक्त आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई छात्रावास की अभिरक्षिका पद का कार्यकाल दिनांक 05.01.2016 से एक वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारण सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
14.	कार्य परिषद् ने डॉ0 विजय चाहल, उपाचार्य, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग का पत्र दिनांक 25.02.2016 जो शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग की स्थापना से सम्बन्धित है, पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग की स्थापना से सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा इसे परिनियम में समाहित करने हेतु प्रस्ताव राजभवन को प्रेषित करने का निर्णय लिया।**
15.	कार्यालय ज्ञाप संख्या 5680/सा0प्र0/2016 दिनांक 03.03.2016, जो डॉ0 राजकिशोर पाठक का विधि विभाग में कार्यभार ग्रहण करने से सम्बन्धी है, से अवगत होना। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
16.	कार्य परिषद् ने श्री राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र संख्या 8293/7–जी0एस/2015 दिनांक 09.10.2015 जो डॉ0 सुशील कुमार तिवारी एवं डॉ0 द्वारका नाथ, दर्शनशास्त्र विभाग को प्रवक्ता पद पर स्थायी करने से सम्बन्धी है, पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने डॉ0 सुशील कुमार तिवारी एवं डॉ0 द्वारका नाथ, दर्शनशास्त्र विभाग को प्रवक्ता पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2012 में पारित आदेश के अनुपालन में स्थायी करने का निर्णय लिया।**
17.	कार्य परिषद् ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध 40 ऐसे महाविद्यालय, जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्राप्त किये बिना एन0सी0टी0ई0 से धारा 7.13 एवं 7.16 में बी0एड0 पाठ्यक्रम में

	पत्र दिनांक 28.04.2016 जो Indian Army's 'Think Tank' Center for Land Warfare Studeis (CLAWS) and the Department of Defence and Strategic Studies के बीच अनुबन्ध सम्बन्धी से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
4.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश सं0 5862/सा0प्र0/2016 दिनांक 06.05. 2016, जो शारीरिक शिक्षा के अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन अधिष्ठाता-शिक्षा संकाय द्वारा किये जाने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
5.	कार्य परिषद् ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने एवं उसे विश्वविद्यालय से लिंकअप कराने से सम्बन्धी है, पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों ने माननीय कुलपति से अनुरोध किया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सी0सी0टी0वी.0 कैमरा लगाने एवं उसे विश्वविद्यानय से लिंकअप कराने से सम्बन्धी प्रस्ताव को महाविद्यालयों के प्रबन्धक को प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेज दिया जाय।**
6.	अध्यक्ष, कार्य परिषद् महोदय की अनुकत से न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिंह, सदस्य कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि के प्रत्यावेन के सम्बन्ध में कार्य परिषद् में विचार हेतु प्रस्ताव रखा गया। इस सम्बन्ध में कार्य परिषद् को निम्नलिखित तथ्य से अवगत कराया- • डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि से सत्र 2010 से शिक्षण कार्य में कोई सहयोग नहीं लिया जा रहा है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में विभिन्न रिट याचिकायें दाखिल की गयी थीं, जिसमें पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 दाखिल की गयी। उपर्युक्त एस0एल0पी0 में पारित अन्तरिम आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश को स्टे कर दिया गया और रिट याचिका का निस्तारण गुण-दोष पर करने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय को निर्देशित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- 360 SB/2011 के साथ डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव आदि द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका सिंख्या- 453 SB/2011 डॉ0 दुर्गा प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य तथा अन्य सम्बन्धित रिट याचिकाओं को एक साथ संलग्न करते हुए दिनांक 17.04. 2012 को निस्तारित कर दिया गया। • उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में डॉ0 भगवती नन्दन मिश्रा द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदय के समक्ष विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68 के

अन्तर्गत प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा संदर्भ संख्या— ई 1509/जी०एस० दिनांक 19 फरवरी 2012 द्वारा निरस्त कर दिया गया। पुनः डॉ० भगवती नन्दन मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ—लखनऊ में रिट याचिका दाखिल किया गया है, जो अद्यतन माननीय माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

- यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ० दुर्गा प्रसाद यादव आदि द्वारा विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका एस०बी० संख्या— 7728/2012 डॉ० दुर्गा प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य दाखिल किया गया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2012 को निरस्त कर दिया गया।

- इस प्रकार डॉ० दुर्गा प्रसाद यादव आदि द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों/प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात् निस्तारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में डॉ० दुर्गा प्रसाद यादव आदि के प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। माननीय सदस्य प्रो० यू०पी० सिंह ने विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित कुलसचिव श्री प्रभाष द्विवेदी द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी सेवाओं के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया।

कुलसचिव

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 17.07.2016 का कार्यवृत्त

समय : पूर्वान्ह 11.30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थिति:

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
3.	प्रो0 रामबरन पटेल	सदस्य
4.	डॉ0 (श्रीमती) शोभा गौड़	सदस्य
5.	डॉ0 संगीता पाण्डेय	सदस्य
6.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
7.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
8.	डॉ0 सच्चिदानन्द शुक्ला	सदस्य
9.	डॉ0 भैरोशंकर उपाध्याय	सदस्य
10.	डॉ0 सरोज श्रीवास्तव	सदस्य
11.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
12.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी
13.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	कुलसचिव / सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य डॉ0 यशवन्त सिंह, उपाचार्य– वनस्पति विज्ञान विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर,, डॉ0 अनिल कुमार सिंह, प्राचार्य, महाविद्यालय, भटौली बाजार, गोरखपुर, डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र, प्राचार्य, श्री भगवान महावीर पी0जी0 कालेज, फाजिलनगर, कुशीनगर एवं डॉ0 महेश्वर सिंह, कृषि विभाग, बी0आर0डी0 पी0जी0 कालेज, देवरिया को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 संगीता पाण्डेय, उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ0 सच्चिदानन्द शुक्ल, प्राचार्य, संत विनोबा पी0जी0 कालेज, देवरिया, डॉ0 नरेन्द्र प्रकाश राय, प्राचार्य, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर एवं डॉ0 भैराशंकर उपाध्याय, प्राणि विज्ञान विभाग, स्वामी देवानन्द पी0जी0 कालेज, मठलार, देवरिया का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक भी मौजूद रहे। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की –

विन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 18.05.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर

	विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 18.05.2016 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 2 के पैरा चार में यह प्रकरण वर्ष 1996 के स्थान पर यह प्रकरण वर्ष 2000 से संशोधित करते हुए सम्पुष्ट किया।	
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् अपनी बैठक दिनांक 18.05.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया तथा मा0 कुलपति जी ने अवगत कराया कि बिन्दु संख्या दो के अन्तिम पैरा पेपर लीक प्रकरण पर न्यायमूर्ति श्री के0डी0 शाही के संयोजकत्व में विभागीय जाँच हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्य डॉ0 आर0के0 पाठक, विधि विभाग एवं परीक्षा नियंत्रक प्रस्तुतकर्ता सदस्य हैं।	
3.	कार्य परिषद् ने यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2016 से दिनांक 16.07.2016 की अवधि में सहयुक्त आचार्य एवं आचार्य पद पर निम्नलिखित विषय/विभाग में प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया–	
	1.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 सतीशचन्द्र पाण्डेय, डॉ0 हर्ष कुमार सिन्हा, डॉ0 प्रदीप कुमार यादव, डॉ0 विनोद कुमार सिंह एवं डॉ0 श्रीनिवास मणि त्रिपाठी, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 05.04.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	2.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव एवं विजय शंकर वर्मा सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– गणित एवं सांख्यिकी विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 07.04.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	3.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 शिवाकान्त सिंह सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– भूगोल विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 12.04.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	4.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 विजय कुमार, डॉ0 उमा

		श्रीवास्तव एवं डॉ0 हिमांशु पाण्डेय, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– गणित एवं सांख्यिकी विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 05.05.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	5.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 उमेश नाथ त्रिपाठी, डॉ0 अशोक कुमार तिवारी, डॉ0 सुधा यादव एवं डॉ0 आफशॉ सिद्दीकी सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– रसायनशास्त्र विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 07.05.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	6.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 लल्लन यादव, डॉ0 रविशंकर सिंह एवं डॉ0 उमेश यादव, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– भौतिकी विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 14.05.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	7.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 राजेश कुमार सिंह, डॉ0 रजनीकान्त पाण्डेय, डॉ0 विनीता पाठक एवं डॉ0 गोपाल प्रसाद, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– राजनीतिशास्त्र विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 20.05.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	8.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 संजीत कुमार गुप्त, डॉ0 राजीव प्रभाकर एवं डॉ0 अनिल कुमार यादव, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– वाणिज्य विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 02.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	9.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 अजय सिंह, डॉ0 बदरे आलम अंसारी, डॉ0 वीना बत्रा कुशवाहा एवं डॉ0 रविकान्त उपाध्याय, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– प्राणि विज्ञान विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 04.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।

	10.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 हिमांशु चतुर्वेदी, डॉ0 निधि चतुर्वेदी, डॉ0 मुकुन्द शरण त्रिपाठी एवं डॉ0 चन्द्र भूषण गुप्त, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– इतिहास विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 07.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	11.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 दिनेश यादव एवं डॉ0 शरद कुमार मिश्र, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– जैव प्रौद्योगिकी विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 10.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	12.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 कमलेश कुमार गुप्त एवं दीपक प्रकाश त्यागी, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– हिन्दी विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 17.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	13.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 छाया रानी, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– संस्कृत विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति ने अपनी बैठक दिनांक 18.06.2016 में डॉ0 छाया रानी को आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु संस्तुत नहीं किया है।
	14.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 शोभा गौड़, डॉ0 सरिता पाण्डेय, डॉ0 सुनीता दूबे, डॉ0 राजेश कुमार सिंह एवं डॉ0 सुषमा पाण्डेय, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– शिक्षाशास्त्र विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 18.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	15.	कैरियर एडवांन्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 हुमा जावेद, डॉ0 अजय कुमार शुक्ल, डॉ0 आलोक कुमार, डॉ0 गौरहरि बेहरा, डॉ0 सुनीता मुर्मू एवं डॉ0 शिखा सिंह सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– अंग्रेजी विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 20.06.2016

		पर अनुमोदन प्रदान किया।
	16.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 करुणाकर राम त्रिपाठी सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– अर्थशास्त्र विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 27.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	17.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 सुषमा पाण्डेय, डॉ0 अनुभूति दूबे एवं धनन्जय कुमार, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– मनोविज्ञान विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 27.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	18.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 शीतला प्रसाद सिंह, डॉ0 दिग्विजयनाथ एवं डॉ0 प्रज्ञा चतुर्वेदी, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 15.07.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	19.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मालविका श्रीवास्तव एवं डॉ0 पूजा सिंह, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– वनस्पति विज्ञान विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 16.07.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	20.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 नरेन्द्र कुमार राना, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– भूगोल विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 12.04.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रकरण पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्य प्रो0 राम बरन पटेल, भूगोल विभाग ने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करायी।
	21.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– कम्प्यूटर साइंस विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक

		चयन समिति की संस्तुति दिनांक 23.04.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	22.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 दिव्या रानी सिंह सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– गृहविज्ञान विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 23.04.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	23.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मनीष मिश्रा, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– इलेक्ट्रानिक्स विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 23.04.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	24.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 राकेश कुमार तिवारी, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– भौतिकी विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 14.05.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	25.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 विमलेश कुमार मिश्र, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– हिन्दी विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 17.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	26.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 उदय सिंह, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– शिक्षाशास्त्र विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 18.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	27.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 अवनीश राय, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– अंग्रेजी विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 20.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	28.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 आलोक कुमार गोयल, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– अर्थशास्त्र विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं

		ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक27.06.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	29.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 विजय चाहल, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– शारीरिक शिक्षा विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 09.07.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	30.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 कमलेश कुमार गौतम, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 15.07.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
	31.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 अनिल कुमार द्विवेदी, सहायक आचार्य, (चरण–3) ए0जी0पी0 ₹ 8,000/– वनस्पति विज्ञान विभाग को सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 16.07.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।

कार्य परिषद् के वरिष्ठतम् सदस्य प्रो0 यू0पी0 सिंह ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की बड़ी संख्या में लम्बित प्रोन्नतियों को शीघ्र और सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए कुलपति प्रो0 अशोक कुमार को अपनी तथा सदन की ओर से बधाई दी।

4.	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में विज्ञापित शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत विनियम 2010 के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया करायी जाय।
5.	कार्य परिषद् ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 5938/सा0प्र0/2016 दिनांक 20.05.2016 द्वारा डॉ0 रजनी कान्त पाण्डेय, सहयुक्त आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग को पूर्व में स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश दिनांक 23.05.2015 के क्रम में दिनांक 23.05.2016 से एक वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।

6.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश सं. 5981/सा0प्र0/2016 दिनांक 11.06.2016 द्वारा डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, अधिष्ठाता– कला संकाय के अवस्थ होने के कारण आकस्मिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित, आचार्य, भूगोल विभाग को दिनांक 11.06.2016 से अधिष्ठता, कला संकाय के दायित्वों के निर्वहन करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
7.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश सं0 5982/सा0प्र0/2016 दिनांक 15.06.2016 द्वारा डॉ0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सहयुक्त आचार्य, गणित एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 01.06.2016 से एक वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले, तक के लिये अधिष्ठाता– छात्र कल्याण के पद पर अवधि विस्तरण सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
8.	कार्य परिषद् ने श्री संजीव कुमार गुप्त, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का आवेदन पत्र, जो दिनांक 01.02.2015 के अपरान्ह से त्याग पत्र देने सम्बन्धी पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने श्री संजीव कुमार गुप्त, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का आवेदन पत्र पर विचार करते हुए दिनांक 01.02. 2015 के अपरान्ह से उनका त्याग पत्र स्वीकार किया।**
9.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 के बिन्दु संख्या–2 के प्रस्तर 2 में लिये गये निर्णय के आलोक में डॉ0 परमहंस पाठक, सहायक आचार्य/उपाचार्य, प्राणि विज्ञान विभाग को कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 08.08.2013 के संकल्प संख्या– 1 (क) (11) में लिये गये निर्णय के क्रम में कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत (आर0ए0 की सेवा आगणित करते हुए) उपाचार्य पद पर की गयी प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उक्त प्रकरण पर पुनर्विचार करने हेतु निम्नलिखित की एक समिति गठित किया–** **1. श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी, संयोजक** **2. प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता– सदस्य** **3. अधीक्षक– सामान्य प्रशासन अनुभाग– प्रस्तुतकर्ता**
10.	कार्य परिषद् ने कार्यालय ज्ञाप सं0 6038/सा0प्र0/2016 दिनांक 04.07.2016 प्रो0 राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग के इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के आन्तरिक कुलपति होने के फलस्वरूप दिनांक 17.06.2016 से 30.07.2017 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए**

	उसका अनुमोदन किया।
11.	कार्य परिषद् श्री अतुल कुमार भारतीय, बुक अटेण्डेन्ट, केन्द्रीय ग्रन्थालय के 01.07.2013 से 14.09.2015 तक चिकित्सा अवकाश पर रहने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत प्रकरण पर जाँच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया।
12.	कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 37(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई पूर्वानुमति के दृष्टिगत कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशोपरान्त सम्बद्धता प्रदान करने विषयक आदेशों की पुष्टि करने पर विचार किया। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया। (सूची संलग्न है)
13.	कार्य परिषद् ने अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया–

1.	कार्य परिषद् ने श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष– कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 09.07.2016, जो विश्वविद्यालय में लिपिकीय संवर्ग के पदों का उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नियमावली संख्या वि0वे0नि (प्रकोष्ठ) 189/दस–2014– 11–2013 लखनऊ, दिनांक 22.09.2014 के आलोक में पुनर्गठन के सम्बन्ध में है, पर विचार किया। कार्य परिषद् ने श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष– कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 09.07.2016 जो विश्वविद्यालय में लिपिकीय संवर्ग के पदों का उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नियमावली संख्या वि0वे0नि (प्रकोष्ठ) 189/दस–2014– 11–2013 लखनऊ, दिनांक 22.09. 2014 के आलोक में पुनर्गठन के सम्बन्ध में है, विचार करते हुए निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा निर्गत राज्य कर्मचारियों की सेवा नियमावली को अंगीकृत करते हुए वित्त समिति द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों को लागू किया जाय।
2.	विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय में रिक्त ग्रन्थालयी के एक पद हेतु किये गये विज्ञापन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय में रिक्त ग्रन्थालयी के एक पद की रिक्ती भरे जाने के सम्बन्ध में शासन को सूचित कर दिया जाये, तद्नुसार शासन के अनुमोदनोपरान्त विज्ञापन में यथावश्यक संशोधन कर विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये और अब तक जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी नियमानुसार स्वीकार कर लिया जाये। विश्वविद्यालय में रिक्त शेष पदों– जैसे– विश्वविद्यालय अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं अन्य पदों पर भी शासन की अनुमति प्राप्त होने पर

	विज्ञापन कराया जाये।
3.	कार्य परिषद् डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह, उप कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का पत्र दिनांक 08.07.2016 जो श्री पृथ्वी नाथ सिंह एवं श्रीमती कमला देवी के नाम से स्वर्ण पदक देने सम्बन्धी है पर विचार किया। कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह, उप कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का पत्र दिनांक 08.07.2016 जो श्री पृथ्वी नाथ सिंह एवं श्रीमती कमला देवी के नाम से क्रमशः एम0ए0/एम0एस–सी0 (गणित) विषय में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र को एवं एम0ए0/एम0एस–सी0 (गणित) विषय में सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्रा को स्वर्ण पदक देने सम्बन्धी है, को स्वीकार किया तथा यह निर्णय लिया कि स्वर्ण पदक हेतु निर्धारित शुल्क रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) प्रति स्वर्ण पदक जमा करा लिया जाय।
4.	कार्य परिषद् ने परीक्षा समिति की बैठक 09.07.2016 के निर्णय के आलोक में ज्ञान भारती महाविद्यालय, रगड़गंज, कुशीनगर की सम्बद्धता रद्द करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने परीक्षा समिति की बैठक 09.07.2016 के निर्णय के आलोक में ज्ञान भारती महाविद्यालय, रगड़गंज, कुशीनगर की सम्बद्धता रद्द करने से पूर्व महाविद्यालय की कुलपति जी द्वारा सुनवाई कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्यवाही करते हुए तद्नुसार सम्बद्धता समाप्ति पर नियमानुसार निर्णय लिया जाये।
5.	कार्य परिषद् ने प्रबन्धक, बाबा बलिराज महाविद्यालय, देवपार, देवरिया के पत्र दिनांक 08.07.2016, जो महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने एवं एफ0डी0आर0 वापस करने के सम्बन्ध में है, पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रबन्धक, बाबा बलिराज महाविद्यालय, देवपार, देवरिया के पत्र दिनांक 08.07.2016 पर निर्णय लिया कि चूँकि शासन द्वारा सन्दर्भित महाविद्यालय की मान्यता दिनांक 30.06.2011 को समाप्त कर दी गयी है, इसलिए सन्दर्भित महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दिया जाय एवं एफ0डी0आर0 भी वापस कर दिया जाय ।
6.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश सं0 6061/सा0प्र0/2016 दिनांक 12.07.2016 जो डॉ0 अरविन्द कुमार मिश्र, आचार्य, विधि विभाग के दिनांक 14.07.2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप प्रो0 आर0के0 पाठक, आचार्य, विधि विभाग के दिनांक 15.07.2016 से तीन वर्ष अथवा सेवा निवृत्ति तक या अन्य कोई आदेश होने तक अध्यक्ष– विधि विभाग नियुक्त होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
7.	कार्य परिषद् के मा0 सदस्य प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता, अधिष्ठाता– विज्ञान संकाय ने प्रस्ताव किया कि रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार अवकाश प्राप्त शिक्षकों से

	शिक्षण कार्य कराया जाना अपेक्षित है, जिस पर कार्य परिषद् ने अपनी सहमति जतायी।

कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के सत्र 2015–16 के परीक्षा का परिणाम समय से घोषित कर दिया गया तथा सत्र 2016–17 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर प्रवेश कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बैक एवं अंक सुधार की परीक्षा मुख्य परीक्षा के साथ न कराकर सितम्बर/अक्टूबर माह में शुरू करा दी गयी है, जिससे छात्रों का एक वर्ष की बचत होगी। साथ ही अन्तर–संकाय के विषयों यथा– बी0एस–सी0 एवं बी0काम0 के छात्रों को स्नातकोत्तर कक्षा के अप्रायोगिक विषयों में व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 16.09.2016 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 12.30 बजे

स्थान : कमेटी हाल

उपस्थिति :

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
3.	प्रो0 रामबरन पटेल	सदस्य
4.	प्रो0 आर0पी0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 गोपाल प्रसाद	सदस्य
6.	प्रो0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित	सदस्य
8.	डॉ0 (श्रीमती) संगीता पाण्डेय	सदस्य
9.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
10.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 भैरोशंकर उपाध्याय	सदस्य
12.	डॉ0 (श्रीमती) सरोज श्रीवास्तव	सदस्य
13.	डॉ0 हर्मेश सिंह चौहान	सदस्य
14.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
15.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी
16.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य डॉ0 श्रीमती शोभा गौड़, शिक्षाशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मध्य0 इतिहास विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ0 सच्चिदानन्द शुक्ल, प्राचार्य, संत विनोबा पी0जी0 कालेज, देवरिया एवं डॉ0 एन0पी0, प्राचार्य, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित, आचार्य–भूगोल विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 गोपाल प्रसाद, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं प्रो0 सुनीता मुर्मू, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की –

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 17.07.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 17.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट करते हुए बिन्दु संख्या 3 (20) पर प्रो0 रामबरन पटेल, सदस्य कार्य परिषद् के निम्नलिखित लिखित आपत्ति को संलग्नकों सहित समाहित करने का निर्णय लिया गया–

"कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.07.2016 के विन्दु 20 के संपुष्ट किये जाने पर असहमति/आपत्ति पत्र"

सेवा में, दिनांक 16.09.2016

अध्यक्ष
माननीय कार्यपरिषद
माननीय कुलपति
दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर

महोदय,

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 17.07.2016 के कार्यवृत्त के बिन्दु 3 (20) पर डा0 नरेन्द्र कुमार राना, भूगोल विभाग को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किये जाने पर मैंने अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सदस्य के दायित्व का निर्वहन करते आरक्षण का अवैध लाभ लेने वाले डा0 राना की नियुक्ति और प्रोन्नति पर दो पृष्ठों की अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करायी थी। आज दिनांक 16.09.2016 की बैठक में उसी बिन्दु 3(20) की सम्पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में मैं अधोलिखित तथ्यों के आलोक में अपनी असहमति और आपत्ति दर्ज करवा रहा हूँ और इस बात को प्रमुखता से अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी इस असहमति/आपत्ति को संलग्नकों सहित कार्यपरिषद के कार्यवृत्त में यथावत समाविष्ट किया जाय।

1. दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर उ0 प्र0 राज्य अधिनियमित विश्वविद्यालय है अतः इस विश्वविद्यालय की सेवाएं राज्याधीन सेवाएं हैं। उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत उ0प्र0 की राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती की प्रक्रिया में अन्य पिछड़े वर्ग के केवल उन नागरिकों को आरक्षण का लाभ दिया जाना अनुमन्य है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं (संलग्नक–1)। डा0 नरेन्द्र कुमार राना उ0 प्र0 राज्य के नहीं अपितु उड़ीसा राज्य के मूल निवासी हैं (संलग्नक–2)। अतः अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में आरक्षण का लाभ देते हुए प्रवक्ता पद की गयी उनकी मूल नियुक्ति ही अवैध, असंवैधानिक, आरक्षण अधिनियम के विपरीत है। चूंकि डा0 राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है इस लिये उन्हें प्रोन्नति जैसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस तथ्य के आलोक में डा0 राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के निर्णय के प्रति मै अपनी गहरी आपत्ति और असहमति अंकित कराता हूँ और प्रकरण के पुनर्विचार हेतु अनुरोध करता हूँ।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में योजित याचिका सं0 SLP No. 1272/2011, 9Feb. 2011, ममता मोहन्थी बनाम स्टेट आफ उड़ीसा में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि यदि प्राथमिक नियुक्ति अवैध है तो नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ अनुमन्य नहीं है। डा0 नरेन्द्र कुमार राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है, इसलिये उन्हें प्रोन्नति जैसा कोई लाभ अनुमन्य नहीं है। डा0 राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत मान लेने के प्रति मैं असहमति और आपत्ति प्रकट करता हूँ, और पुनर्विचार का आग्रह करता हूँ।

3. दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय के दो विज्ञापनों में साफ अंकित है कि आरक्षण के मामले में उ0प्र0 राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन होगा (संलग्नक 3 एवं 4)। विश्वविद्यालयों, लोक सेवा आयोग, उ0शि0 से0 चयन बोर्ड सभी के द्वारा उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 का ही अनुपालन किया जाता है। डा0 राना की नियुक्ति से सम्बन्धित विज्ञापन सं0 4/2000, दिनांक 2.08.2000 में किसी त्रुटिवश भले ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का माने जाने का उल्लेख न हुआ है, तथापि उ0प्र0 राज्य आरक्षण अधिनियम 1994 यह छूट नहीं देता है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को भी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ दे दिया जाय। जानबूझ कर नियोक्ताओ ने डा0 राना को उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में डाला, और उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक अर्ह अभ्यर्थियों को दरकिनार कर डा0 राना की नियुक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देकर की गयी है। अतः मूल नियुक्ति के सर्वथा गलत, असंवैधानिक, असंगत, अवैध और आरक्षण अधिनियमों की अवहेलना करते हुए की गयी है। अतः इस प्रकरण के निस्तारित होने तक विन्दु संख्या 20 को सम्पुष्ट करने के प्रति मैं कड़ी असहमति और आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रकरण के पुनर्विचार हेतु निवेदन करता हूँ।

4. डा0 राना की नियुक्ति से सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना (संलग्नक 5, 6 व 7), नियुक्ति पत्र (संलग्नक 8), आवेदन पत्र (संलग्नक 9), जाति प्रमाण पत्र (संलग्नक 2– छः साल पुराना होने से अमान्य), विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विज्ञापन (संलग्नक 3 एवं 4) सभी साक्ष्यों से सम्यक रूप से पुष्ट होता है कि डा0 राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है। ये सभी साक्ष्य मूल रूप में डा0 राना की नियुक्ति पत्रावली पर उपलब्ध हैं। मूल नियुक्ति के अवैध होने की दशा में कार्य परिषद के एक सदस्य के रूप में बिन्दु 3 (20) की पुष्टि पर आपत्ति करते हुए प्रकरण के निस्तारित होने तक प्रोन्नति का लाभ न देने का अनुरोध करता हूँ।

5. डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण माननीय कुलपति और महामहिम कुलाधिपति के विचाराधीन है (संलग्नक 10)। कार्यपरिषद में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिनिध सदस्य के रूप में मैनें भी माननीय कुलपति, अध्यक्ष, कार्यपरिषद से शिकायत की है कि डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति व प्रोन्नति की जांच करायी जाय (संलग्नक 11)। मैने अनुरोध भी दिनांक 15.09.2016 को अनुरोध किया है कि मेरे द्वारा की गयी शिकायत को कार्यपरिषद की बैठक में रख कर यथोचित निर्णय लिया जाय। अतः जब तक डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण निस्तारित नहीं हो जाता, तब तक उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसलिये डा0 राना को एसोशिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने वाल प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी असमति एवं गहन विरोध अंकित करवा रहा हूँ।

6. डा0 राना के पक्ष में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि डा0 राना की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति का मामला अलग अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। यहाँ नियुक्ति और प्रोन्नति तो एक ही व्यक्ति डा0 राना से ही जुड़ा हुआ मामला है। प्रोन्नति का लाभ उसे मिल रहा है, जिसकी मूल नियुक्ति ही अवैध है। प्रोन्नति का लाभ नियुक्त व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिये जो नियुक्ति ही अवैध है, उस अवैध नियुक्त व्यक्ति को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना सर्वथा नियम विरुद्ध है।

संलग्नक– यथोक्त, कुल 11 पन्ने।

भवदीय
(प्रो0 राम बरन पटेल)

	सदस्य कार्य परिषद दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर।
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17.07.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 17.07.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया तथा बिन्दु संख्या 3 (20) पर प्रो0 रामबरन पटेल, सदस्य–कार्य परिषद् ने निम्नलिखित लिखित आपत्ति दर्ज करायी– कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.07.2016 की कार्यसूची के बिन्दु 3 के अंतर्गत भूगोल विषय में डा0 नरेन्द्र कुमार को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति किये जाने पर अधोखित तथ्यों के आलोक में मेरी असहमति टिप्पणी दर्ज करें। 1. राज्य विश्वविद्यालय की सेवाओं में अन्य राज्यों के नागरिकों को अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ अनुमन्य नहीं है। डा0 नरेन्द्र कुमार राना उत्तर प्रदेश के निवासी न होकर उड़ीसा राज्य के निवासी हैं, तथापि इस राज्य विश्वविद्यालय में आरक्षण का लाभ लेते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे में नियुक्ति पायी है, जो उ0प्र0 लोक सेवा अधिनियम 1994 का घोर उल्लंघन और सर्वथा विधिविरुद्ध है। अवैध नियुक्ति के विरुद्ध शिकायतकर्ता–पूर्वांचल पिछड़ा वर्ग जागरण मंच, गोरखपुर ने पुष्ट साक्ष्यों/प्रमाणों को संलग्न करते हुए कार्यपरिषद सदस्य के रूप में मुझे भी शिकायत की प्रतिलिपि प्रेषित की है। 2. प्रमाण पत्रों के आधार पर चूँकि डा0 नरेन्द्र कुमार राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है। अतः अवैध नियुक्ति प्रकरण के निस्तारण के बिना डा0 राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किया जाना सर्वथा नियम विरुद्ध है। 3. डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण महामहिम कुलाधिपति द्वारा संज्ञान में लिया जा चुका है। राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः ई0 2922, 3014/7–जी.एस. 2016, दिनांक 18.04.2016 के द्वारा अवैध नियुक्ति के बारे में प्रस्तरवार आख्या 15 दिनों की भीतर वि0वि0 प्रशासन से माँगी गयी है। इस प्रकार डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण विचाराधीन/लम्बित होने तथा प्रकरण के निस्तारण के बिना ही डा0 राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किया जाना तर्कसंगत और उचित नहीं है। प्रोन्नति का लाभ दिया जाना इसलिये भी विधिक नहीं है, क्यों कि डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पत्रांकः ई0 2922, 3014/7–जी.एस. 2016, दिनांक 18.04.2016 द्वारा महामहिम कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रस्तरवार आख्या 15 दिनों की भीतर माँगी है। इस प्रकार डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण लम्बित/विचाराधीन होने तथा प्रकरण के निस्तारण के बिना ही डा0 नरेन्द्र कुमार राना को एसोशिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किया जाना तर्कसंगत, नियम संगत और उचित नहीं है। प्रोन्नत का लाभ दिया जाना विशेष रूप से इसलिये भी विधिक नही है, क्योंकि डा0 राना की अवैध नियुक्ति के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए महामहिम कुलाधिपति द्वारा पत्रांकः ई0 2922, 3014/7–जी.एस. 2016, दिनांक 18.04.2016 विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रस्तरवार आख्या मांगी गयी है। अतः प्रकरण के निस्तारण तक डा0 राना के प्रोन्नति को स्थगित रखना चाहिये था। ऐसा न किया जाना नियमानुसार नहीं है। 4. डा0 राना के पक्ष में यह तर्क देना कि डा0 राना की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति का मामला अलग अलग है। परन्तु ऐसा नहीं है। यहाँ नियुक्ति और प्रोन्नति तो एक ही व्यक्ति डा0 राना से ही जुड़ा हुआ मामला है। प्रोन्नति का लाभ उसे मिल रहा है, जिसकी मूल नियुक्ति ही अवैध है। प्रोन्नति का लाभ नियुक्त व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिये जो नियुक्ति ही अवैध है, उस अवैध नियुक्त व्यक्ति को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना सर्वथा नियम विरुद्ध है। पुनश्च, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SLP No. 1272/2011 ममता मोहन्थी बनाम स्टेट आफ उड़ीसा में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि यदि प्राथमिक नियुक्ति अवैध है तो नियुक्त

	व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार इस कार्यपरिषद की के कार्यवृत्त में मेरी असहमति का अंकन किया जाय। (प्रो0 राम बरन पटेल) सदस्य कार्य परिषद दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। दिनांक 17.07.2016 बिन्दु संख्या –9 जो डॉ0 परमहंस पाठक, उपाचार्य– प्राणि विज्ञान विभाग के प्रकरण पर श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी के संयोजकत्व में गठित समिति की आख्या पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि डॉ0 परमहंस पाठक की प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने की तिथि 23.08.2005 से पाँच वर्ष की सेवा (कैरियर एडवान्समेण्ट योजना सम्बन्धी परिनियम (यथा संशोधित) के अनुसार) जिस तिथि को पूर्ण हो रही हो तथा तत्समय प्रभावी परिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दिनांक 30.06.2010 के उपरान्त प्रभावी व्यवस्था के अनुसार पी0बी0ए0एस0 आधारित ए0पी0आई0 आख्या पत्र की जाँच के उपरान्त प्रोन्नति की कार्यवाही की जाय।
3.	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
4.	कार्य परिषद् ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 8080/सा0प्र0/2016 दिनांक 26.07.2016 द्वारा डॉ0 श्री अवधेश सिंह, पशुपालन विभाग, बी0आर0डी0 पी0जी0 कालेज, देवरिया को दिनांक 25.07.2016 से तीन वर्ष या कोई अन्य आदेश होने तक अधिष्ठाता– कृषि संकाय के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
5.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 8094/सा0प्र0/2016 दिनांक 01.08.2016 द्वारा डॉ0 दिनेश यादव, आचार्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ0 उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सहयुक्त आचार्य, कम्प्यूटर साइंस विभाग, डॉ0 मनीष मिश्र, सहयुक्त आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स विभाग एवं डॉ0 दिव्या रानी सिंह, सहयुक्त आचार्य, गृह विभाग विभाग को विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथा संशोधित) के परिनियम 02.20 के उपबन्ध 01, 02 एवं 05 के अधीन चक्रानुक्रम के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
6.	कार्य परिषद् ने कार्यालय ज्ञाप सं0 8096/सा0प्र0/2016 दिनांक 01.08.2016 द्वारा प्रो0 सतीश चन्द्र पाण्डेय, अचार्य– रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग को नियन्ता पद पर अगले आदेश तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले जो, तक के लिए अवधि विस्तार सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
7.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 5688/सा0प्र0/2016 दिनांक 05.03.2016 द्वारा डॉ0 मालविका श्रीवास्तव, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई छात्रावास की अभिरक्षिका पद पर दिनांक 05.01.2016 से एक वर्ष या अन्य

	आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
8.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 5466/सा0प्र0/2016 दिनांक 06.01.2016 द्वारा डॉ0 छायारानी, सहयुक्त आचार्य, संस्कृत विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई छात्रावास का कार्यकाल दिनांक 31.11.2015 से एक वर्ष के लिए विस्तारित करने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
9.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9035/सा0प्र0/2016 दिनांक 10.08.2016 द्वारा डॉ0 जितेन्द्र मिश्र, सहयुक्त आचार्य, विधि विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक अभिरक्षक, स्वामी विवेकानन्द छात्रावास के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
10.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9034/सा0प्र0/2016 दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्रो0 रविशंकर सिंह, भौतिकी विभाग को गौतम बुद्ध छात्रावास एवं प्रो0 सुषमा पाण्डेय, शिक्षाशास्त्र विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास का अभिरक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
11.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9068/सा0प्र0/2016 दिनांक 23.08.2016 द्वारा डॉ0 राकेश तिवारी, भौतिकी विभाग एवं डॉ0 अनुराग द्विवेदी, समाजशास्त्र विभाग को नाथ चन्द्रावत छात्रावास छात्रावास का अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
12.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9073/सा0प्र0/2016 दिनांक 24.08.2016 द्वारा डॉ0 चन्द्रशेखर, सहयुक्त आचार्य, विधि विभाग एवं डॉ0 अहमद नसीम, सहयुक्त आचार्य, विधि विभाग को स्वामी विवेकानन्द छात्रावास का अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
13.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 8099/सा0प्र0/2016 दिनांक 26.08.2016 द्वारा डॉ0 सरिता पाण्डेय, शिक्षाशास्त्र विभाग को अलकनन्दा महिला छात्रावास का अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।

14.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9100/सा0प्र0/2016 दिनांक 26.08.2016 द्वारा डॉ0 ध्यानेन्द्र नारायण दूबे, सहायक आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग एवं डॉ0 मनोज तिवारी, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग को गौतम बुद्ध छात्रावास का अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
15.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9105/सा0प्र0/2016 दिनांक 30.08.2016 द्वारा डॉ0 राजेश कुमार सिंह, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग को संत कबीर छात्रावास का अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले तक के लिए नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
16.	कार्य परिषद् ने श्री प्रभात कुमार राय, प्रबन्धक, राम गुलाम राय पी0जी0 कालेज, बनकटाशिव, सल्लहपुर, देवरिया का पत्र दिनांक 27.07.2016, जो स्व0 राम गुलाम राय नाम से स्नातक कला संकाय एवं विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक देने सम्बन्धी है पर विचार किया। कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रभात कुमार राय, प्रबन्धक, राम गुलाम राय पी0जी0 कालेज, बनकटाशिव, सल्लहपुर, देवरिया का पत्र दिनांक 27.07.2016, जो स्व0 राम गुलाम राय नाम से स्नातक कला संकाय एवं विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं गृहविज्ञान विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक देने सम्बन्धी है, को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण पदक हेतु निर्धारित शुल्क रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) प्रति स्वर्ण पदक जमा करा लिया जाय।
17.	कार्य परिषद् ने प्रो0 गोपीनाथ, अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का पत्र दिनांक 11.082016, जो स्व0 प्रो0 ए0पी0 बैजल, पूर्व अधिष्ठाता– वाणिज्य संकाय नाम से एम0काम0 विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्मृति स्वर्ण पदक देने सम्बन्धी कुलपति जी के आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
18.	कार्य परिषद् ने अधिसूचना सं0 9142/सा0प्र0/2016 दिनांक 03.09.2016 जो छात्रसंध चुनाव कराये जाने हेतु प्रो0 संजय बैजल, आचार्य, वाणिज्य विभाग को चुनाव अधिकारी नियुक्त करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
19.	श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, पदेन सचिव के पत्र संख्या ई–7636/7–जी0एस0/2016–एम दिनांक 02.09.2016 जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, में पं0 दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाये जानें सम्बन्धी है, से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई। सभी सम्मानित सदस्यों ने

	विश्वविद्यालय परिसर में पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा लगाने की स्वीकृति के लिए मा0 कुलाधिपति को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं प्रतिमा की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
(I)-	कार्य परिषद् के सम्मानित सदस्य श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी ने दिनांक 18.05.2016 के कार्य परिषद् के निर्णय के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी को कार्यवृत्त में शामिल करने का अनुरोध किया– दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की दिनांक 16.09.2016 की बैठक में कार्य सूची में बिन्दु संख्या 19 पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निवेदन– 1. स्व0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित करने के लिए मा0 कुलाधिपति द्वारा दी गयी सहमति का मैं हृदय से समर्थन तथा स्वागत करता हूँ। स्व0 पं0 उपाध्याय की उच्चतम स्तर की उपलब्धियों, कीर्ति तथा भारत के नेतृत्व श्रृंखला में अग्रणी स्थान है। दूसरा कारण यह भी है कि पूर्व में दी गयी संस्तुति कि "विश्वविद्यालय परिसर में किसी महानुभाव की मूर्ति लगाना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है" सर्वथा त्रुटिपूर्ण तथा अमान्य है। 2. इस संस्तुति को अस्वीकार करते हुए एक महानुभाव की प्रतिमा लग चुकी तथा एक और स्थापित हो रही है। मा0 कुलाधिपति ने स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति स्थापना को संज्ञान में लेते हुए स्व0 श्री सुरतनारायण मणि त्रिपाठी की परिसर में प्रतिमा स्थापित करने के शासन के निर्णय के संदर्भ में यह माना है कि विश्वविद्यालय उक्त संस्तुति को पुनर्संशोधित कर चुकी है। अतः उन्होंने स्व0 श्री त्रिपाठी के प्रकरण में पनुः विचार करने का निर्देश दिया था। 3. डॉ0 यू0पी0 सिंह ने पूर्व चर्चा में कहा था कि वह स्व0 श्री त्रिपाठी का बहुत सम्मान करते हैं, परन्तु उपरोक्त संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मूर्ति स्थापना का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख किया जो, उनके अनुसार, कार्य परिषद् के पूर्व निर्णय को बाद में परिषद् द्वारा रद्द करने की अनुमति नहीं देता है। 4. न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह ने कहा था कि स्व0 श्री त्रिपाठी द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रचुर योगदान के बारे में वह अवगत हैं, परन्तु उपरोक्त संस्तुति तथा इस प्रकरण पर पूर्व में कार्य परिषद् के निर्णय के आलोक में वह इसे समाप्त करने के पक्ष में हैं। 5. स्व0 श्री त्रिपाठी की प्रतिमा स्थापना के प्रस्ताव पर गुण दोष के आधार पर कभी चर्चा नहीं हुई, केवल उपरोक्त सामान्य संस्तुति का हवाला देकर शासन द्वारा आदेशित पहल को कार्यान्वित करने से रोका गया है। यह स्पष्ट परिलक्षित है कि जानबूझ कर यह संस्तुति केवल स्वर्गीय श्री सुरत नारायण मणि त्रिपाठी की प्रतिमा न लगे, इसके लिये प्रयोग की जा रही है, और किसी महानुभाव के लिये नहीं। 6. पूरी उत्तरदायित्व की भावना से कहता हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसी एक व्यक्ति ने इतना अथक प्रयास नहीं किया, जितना स्वर्गीय श्री सुरत नारायण मणि त्रिपाठी ने। इसलिये नहीं कह रहा हूँ कि वह मेरे पिता हैं, परन्तु इस आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने स्वयं उन्हें निरन्तर इसके लिए संघर्ष करते देखा है। 7. मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। उनसे अनुरोध है कि यह संक्षिप्त विवरण कार्यरत में साथ संलग्न करने की अनुमति दें। एस0वी0एम0 त्रिपाठी, सदस्य कार्य परिषद

(II)-	प्रो0 गोपाल प्रसाद, सदस्य—कार्य परिषद् ने इसका समर्थन किया।
(III)-	प्रो0 यू0पी0 सिंह, सदस्य— कार्य परिषद् ने कहा कि अब मूर्ति प्रकरण पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। लेकिन, क्योंकि श्री त्रिपाठी ने अपनी टिप्पणी को कार्यवृत्त में शामिल किये जाने का अनुरोध किया है, अतः उन्होंने मूर्ति प्रकरण के सन्दर्भ में अपनी निम्नलिखित टिप्पणी को कार्यवृत्त में शामिल करने का अनुरोध किया— दिनांक 16.09.2016 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद् की बैठक में बिन्दु संख्या 19 पर संलग्न की जाने वाली मेरी टिप्पणी— दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की दिनांक 16.09.2016 की कार्य परिषद् की बैठक में बिन्दु संख्या— 19 पर पंडित दीनदयाल उपाधय जी की परिसर में प्रतिमा स्थापित किये जाने के लिए महामहिम कुलाधिपति जी के अनुमोदन प्राप्त होने की जानकारी देते समय कार्यपरिषद् के सम्मानित सदस्य माननीय श्रीयुत श्री विलास मणि त्रिपाठी जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना में श्रद्धेय स्व0 पंडित सुरति नारायण मणि त्रिपाठी के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए उनकी विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिमा स्थापना की बात पुनः रखी। इस चर्चा में भाग लेते हुए मैंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में ब्रह्मलीन पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी के अद्वितीय एवं अप्रतिम योगदान का वर्णन करते हुए इस तथ्य का उल्लेख किया कि पूज्य ब्रह्मलीन महराज जी द्वारा तत्कालीन महाराणा प्रताप डिग्री कालेज़ को विश्वविद्यालय में विलीन कर उसकी सारी सम्पत्तियों को विश्वविद्यालय में प्रदान किये जाने के फलस्वरूप ही गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी। जो भूखण्ड महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के सचिव (ब्रह्मलीन पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी) द्वारा प्रदान किया गया है उसमें विश्वविद्यालय के चार शैक्षिक विभाग (वाणिज्य, व्यवसाय प्रबन्धन, शिक्षाशास्त्र एवं प्रौढ़ शिक्षा) चलते हैं तथा उसी भूखण्ड पर विश्वविद्यालय का एक महिला छात्रवास भी स्थापित है। यद्यपि माननीय कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति स्थापना के अतिरिक्त किसी अन्य महानुभाव की प्रतिमा न लागने के बारे में कार्यपरिषद् का अन्तिम निर्णय हो चुका है, फिर भी यदि भविष्य में विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी अन्य व्यक्ति की मूर्ति लगाने पर विचार होता है तो ब्रह्मलीन पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी की मूर्ति लगाने को प्राथमिकता दी जाय। मेरी उपर्युक्त टिप्पणी दिनांक 18.09.16 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद् की बैठक के समय माननीय कुलपति जी द्वारा प्रदत्त अनुमति के बाद ही भेजी जा रही है। प्रो0 यू0पी0 सिंह सदस्य—कार्य परिषद् दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
20.	कार्य परिषद् ने दिनांक : 25.09.2016 को होने वाले दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में विचार किया। दिनांक 25.09.2016 को होने वाले दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में कुलपति जी ने विस्तृत जानकारी दी, जिससे सदन अवगत होते हुए संतोष व्यक्त किया।
21.	कार्य परिषद् ने यू0जी0सी0 विनियम जून—2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत दिनांक 27.07.2016 को विधि विभाग में सहयुक्त आचार्य से आचार्य पद

	पर प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर विचार किया। कार्य परिषद् ने यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत दिनांक 27.07.2016 को विधि विभाग में सहयुक्त आचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की संस्तुतियों विचार करते हेतु निर्णय लिया एवं कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 जितेन्द्र मिश्र, डॉ0 चन्द्रशेखर एवं डॉ0 अहमद नसीम, सहयुक्त आचार्य, (चरण–4) ए0जी0पी0 ₹ 9,000/– विधि विभाग को आचार्य, (चरण–5) पे बैण्ड 37400–67,000 एवं ए0जी0पी0 ₹ 10,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक चयन समिति की संस्तुति दिनांक 27.07.2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।
22.	अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया–
1.	कार्य परिषद् ने अपनी स्थगित बैठक दिनांक 12.09.2016 की कार्यसूची, जो विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों पर 89 दिनों हेतु कर्मचारियों के नियुक्ति पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त शिक्षणेत्तर पदों पर 89 दिन पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का आगे कोई विस्तरण नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त वर्ष 2001 के पश्चात् कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्जड/नियत वेतन/संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों का भी उक्त की भाँति विस्तरण नहीं किया जायेगा तथा 30.09.2016 तक का भुगतान सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा कार्य प्रमाणित होने के पश्चात् किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी विभाग को आवश्यकता है तो चतुर्थ श्रेणी में आउट सोर्सिंग के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर अनुमोदनोपरान्त कार्य लिया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित विभाग एवं अधिकारी उत्तरदायी होंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षणेत्तर तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रस्ताव शासन को अविलम्ब भेजकर अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जाय। तत्पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2001 के पूर्व से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी एवं तकनीकी व्यक्तियों के समायोजन शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार की जाये।
2.	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 27.03.2015 के बिन्दु संख्या 18 एवं 19 पर लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा क्रीड़ा परिषद् की सदस्यता से मुक्त करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों का क्रीड़ा परिषद् की सदस्यता अनिवार्य है। क्रीड़ा शुल्क का निर्धारण वित्त समिति द्वारा कर लिया जाय तथा अध्यक्ष– क्रीड़ा परिषद् को निर्देश दिया जाय कि सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर उन्हें पूर्ण स्थिति से अवगत करा दिया जाय।
3.	कार्य परिषद् ने शासन स्तर पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में हुई सुनवाई के पश्चात् शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में दिनांक 13.08.2016 को विश्वविद्यालय स्तर पर गठित सम्बद्धता समिति की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निम्नलिखित निर्णय लिया –

	1. संलग्न सूची के बिन्दु संख्या 1 से 21 तक के महाविद्यालयों के सम्बन्ध में सम्बद्धता समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया। 2. संलग्न सूची के बिन्दु संख्या 22 से 26 तक के महाविद्यालयों द्वारा कार्यरत शिक्षकों का बैंक से वेतन भुगतान न करने के कारण उन पर एक लाख रूपये अर्थ दण्ड एवं एक लाख रूपये अमानत (Security) धनराशि विश्वविद्यालय में जमा करने का निर्णय लिया। सम्बन्धित महाविद्यालय जब इस आशय का शपथ पत्र देंगे कि उन्होंने कार्यरत शिक्षकों का वेतन बैंक के माध्यम से देना प्रारम्भ कर दिया है तो उनकी अमानत (Security) की धनराशि वापस कर दी जायेगी। 3. संलग्न सूची के बिन्दु संख्या 27 एवं 28 के महाविद्यालयों को प्राप्त विधिक अभिमत के आधार पर शैक्षिक सत्र 2016–17 में सम्बद्धता न प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 4. संलग्न सूची के बिन्दु संख्या 29 एवं 30 के महाविद्यालयों की सम्बद्धता चूँकि शासन ने ही समाप्त कर दिया है, इसलिए इन्हें सम्बद्धता प्रदान न की जाय।
4.	कार्य परिषद् ने स्वामी देवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मठलार, देवरिया के संचालन हेतु सम्बद्धता के निस्तारण के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6 के पत्र संख्या वी0आई0पी0 78/सत्तर–6–2016–63/2016 दिनांक 08 अगस्त, 2016 पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने स्वामी देवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मठलार, देवरिया के संचालन हेतु सम्बद्धता के निस्तारण के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6 के पत्र संख्या वी0आई0पी0 78/सत्तर–6–2016–63/2016 दिनांक 08 अगस्त, 2016 पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि सम्बन्धित महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान कर दिया जाय और प्रवेश की भी अनुमति प्रदान की जाय।
5.	कार्य परिषद् ने विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या वी0आई0पी0 94/सत्तर–6–2016–76/2016 दिनांक 24 अगस्त, 2016, जो डॉ0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, करौंदी, भलुवनी, देवरिया की सम्बद्धता/विस्तरण के सम्बन्ध में है, पर विचार किया। कार्य परिषद् ने विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या वी0आई0पी0 94/सत्तर–6–2016–76/2016 दिनांक 24 अगस्त, 2016, जो डॉ0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, करौंदी, भलुवनी, देवरिया की सम्बद्धता/विस्तरण के सम्बन्ध में विचार करते हुए निर्णय लिया कि इस प्रकरण पर शासन में सुनवाई के बाद निर्देश दिया गया है कि छात्र हित में सन्दर्भित महाविद्यालय को सम्बद्धता देने पर विचार किया जाय। कार्य परिषद् द्वारा इस प्रकार के प्रकरण में पूर्व में किसी भी महाविद्यालय को जिन्होंने समय पर सम्बद्धता विस्तरण सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, सम्बद्धता प्रदान नहीं किया गया है, अतः कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से इस महाविद्यालय को भी सम्बद्धता प्रदान न किये जाने का निर्णय लिया।
6.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9034/सा0प्र0/2016 दिनांक 10.08.2016 द्वारा रविशंकर सिंह, आचार्य– भौतिकी विभाग को गौतम बुद्ध छात्रावास का अभिरक्षक एवं प्रो0 सुषमा पाण्डेय, आचार्य– शिक्षाशास्त्र विभाग को महारानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास का अभिरक्षिका पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से

	अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
7.	कार्य परिषद् ने वर्ष 2008–2015 तक विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेशित छात्रों से लिये गये पत्रिका शुल्क, यूनियन शुल्क एवं चुनाव शुल्क वापस करने पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वर्ष 2008–2015 तक विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेशित छात्रों से लिये गये पत्रिका शुल्क, यूनियन शुल्क एवं चुनाव शुल्क वापस करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया।
8.	विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 15.06.2016 की संस्तुतियों पर विचार। कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 15.06.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
9.	कार्य परिषद् ने सूचना सं0 9168/सा0प्र0/2016 दिनांक 08.09.2016 जो प्रो0 हिमांशु चतुर्वेदी, आचार्य– मध्य0 इतिहास विभाग को अध्यक्ष– क्रीड़ा परिषद् के पद पर एक वर्ष अथवा अगले आदेश अथवा सेवानिवृत्ति तिथि, जो भी पहले हो, नियुक्त करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
10.	मा0 कुलपति जी ने प्रो0 हर्ष कुमार सिन्हा, आचार्य, रक्षा एवं स्त्राजतिक अध्ययन विभाग को मानद ग्रन्थालयी के पद पर एक वर्ष अथवा अगले आदेश अथवा सेवानिवृत्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश से अवगत कराया, जिसे कार्य परिषद् ने स्वीकार किया।
11.	माननीय कुलपति जी द्वारा कार्यपरिषद् को अवगत कराये जाने पर कि विश्वविद्यालय अतिथि गृह की आवश्यक मरम्मत आदि कराकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जलपान, भोजन, भवन की साफ–सफाई की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है, जिस पर कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की तथा इसके लिए कुलपति जी बधाई दी।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.07.2016 के विन्दु 20 के संपुष्ट किये जाने पर असहमति/आपत्ति पत्र

सेवा में,

दिनांक 16.09.2016

अध्यक्ष
माननीय कार्यपरिषद
माननीय कुलपति/कुलसचिव
दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर

महोदय

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 17.07.2016 के कार्यवृत्त के विन्दु 20 पर डा0 नरेन्द्र कुमार राना, भूगोल विभाग को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत किये जाने पर मैनें अन्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सदस्य के दायित्व का निर्वहन करते आरक्षण का अवैध लाभ लेने वाले डा0 राना की नियुक्ति और प्रोन्नति पर दो पृष्ठों की अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करायी थी। आज दिनांक 16.09.2016 की बैठक में उसी विन्दु (20) की सम्पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में मैं अधोलिखित तथ्यों के आलोक में अपनी असहमति और आपत्ति दर्ज करवा रहा हूँ। और इस बात को प्रमुखता से अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दर्ज करायी गयी इस असहमति/आपत्ति को संलग्नकों सहित कार्यपरिषद के कार्यवृत्त में यथावत समाविष्ट किया जाय।

1. दी0द0उ0 गोरखपुर विश्विद्यालय, गोरखपुर उ0 प्र0 राज्य अधिनियमित विश्वविद्यालय है अतः इस विश्वविद्यालय की सेवाएं राज्याधीन सेवाएं हैं। उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत उ0प्र0 की राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती की प्रक्रिया में अन्य पिछड़े वर्ग के केवल उन नागरिकों को आरक्षण का लाभ दिया जाना अनुमन्य है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं (संलग्नक–1)। डा0 नरेन्द्र कुमार राना उ0 प्र0 राज्य के नहीं अपितु उड़ीसा राज्य के मूल निवासी हैं (संल0–2)। अतः अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में आरक्षण का लाभ देते हुए प्रवक्ता पद की गयी उनकी मूल नियुक्ति ही अवैध, असंवैधानिक, आरक्षण अधिनियम के विपरीत है। चूंकि डा0 राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है इस लिये उन्हें प्रोन्नति जैसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस तथ्य के आलोक में डा0 राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के निर्णय के प्रति मै अपनी गहरी आपत्ति और असहमति अंकित कराता हूँ और प्रकरण के पुनर्विचार हेतु अनुरोध करता हूँ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में योजित याचिका सं0 SLP No. 1272/2011, 9Feb. 2011, ममता मोहन्थी बनाम स्टेट आफ उड़ीसा में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि यदि प्राथमिक नियुक्ति अवैध है तो नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लाभ अनुमन्य नहीं है। डा0 नरेन्द्र कुमार राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है, इसलिये उन्हें प्रोन्नति जैसा कोई लाभ अनुमन्य नहीं है। डा0 राना को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत मान लेने के प्रति मैं असहमति और आपत्ति प्रकट करता हूँ, और पुनर्विचार का आग्रह करता हूँ।

3. दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय के दो विज्ञापनों में साफ अंकित है कि आरक्षण के मामले में उ0प्र0 राज्य सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन होगा (संल0–3 व 4)। विश्वविद्यालयों, लोक सेवा आयोग, उ0शि0 से0 चयन बोर्ड सभी के द्वारा उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 का ही अनुपालन किया जाता है। डा0 राना की नियुक्ति से सम्बन्धित विज्ञापन सं0 4/2000, दिनांक 2.08.2000 में किसी त्रुटिवश भले ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का माने जाने का उल्लेख न हुआ है, तथापि उ0प्र0 राज्य आरक्षण अधिनियम 1994 यह छूट नहीं देता है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को भी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ दे दिया जाय। जानबूझ कर नियोक्ताओं ने डा0 राना को उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में डाला, और उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक अर्ह अभ्यर्थियों को दरकिनार कर डा0 राना की नियुक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देकर की गयी है। अतः मूल नियुक्ति के सर्वथा गलत, असंवैधानिक, असंगत, अवैध और

आरक्षण अधिनियमों की अवहेलना करते हुए की गयी है। अतः इस प्रकरण के निस्तारित होने तक विन्दु संख्या 20 को सम्पुष्ट करने के प्रति मैं कड़ी असहमति और आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रकरण के पुनर्विचार हेतु निवेदन करता हूँ।

4. डा0 राना की नियुक्ति से सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना (संलग्नक 5,6व7), नियुक्ति पत्र (संलग्नक 8), आवेदन पत्र (संलग्नक 9), जाति प्रमाण पत्र (संलग्नक 2—छः साल पुराना होने से अमान्य), विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विज्ञापन (संलग्नक 3 व 4) सभी साक्ष्यों से सम्यक रूप से पुष्ट होता है कि डा0 राना की मूल नियुक्ति ही अवैध है। ये सभी साक्ष्य मूल रूप में डा0 राना की नियुक्ति पत्रावली पर उपलब्ध हैं। मूल नियुक्ति के अवैध होने की दशा में कार्य परिषद के एक सदस्य के रूप में विन्दु 20 की पुष्टि पर आपत्ति करते हुए प्रकरण के निस्तारित होने तक प्रोन्नति का लाभ न देने का अनुरोध करता हूँ।

5. डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण माननीय कुलपति और महामहिम कुलाधिपति के विचाराधीन है (संलग्नक 10)। कार्यपरिषद में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिनिध सदस्य के रूप में मैनें भी माननीय कुलपति, अध्यक्ष, कार्यपरिषद से शिकायत की है कि डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति व प्रोन्नति की जांच करायी जाय (संलग्नक11)। मैने अनुरोध भी दिनांक 15.09.2016 को अनुरोध किया है कि मेरे द्वारा की गयी शिकायत को कार्यपरिषद की बैठक में रख कर यथोचित निर्णय लिया जाय। अतः जब तक डा0 नरेन्द्र कुमार राना की अवैध नियुक्ति का प्रकरण निस्तारित नहीं हो जाता, तब तक उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसलिये डा0 राना को एसोशिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने वाल प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी असमति एवं गहन विरोध अंकित करवा रहा हूँ।

6. डा0 राना के पक्ष में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि डा0 राना की नियुक्ति और उनकी प्रोन्नति का मामला अलग अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। यहाँ नियुक्ति और प्रोन्नति तो एक ही व्यक्ति डा0 राना से ही जुड़ा हुआ मामला है। प्रोन्नति का लाभ उसे मिल रहा है, जिसकी मूल नियुक्ति ही अवैध है। प्रोन्नति का लाभ नियुक्त व्यक्ति को दिया जाता है, इसलिये जो नियुक्ति ही अवैध है, उस अवैध नियुक्त व्यक्ति को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना सर्वथा नियम विरुद्ध है।

संलग्नक—यथोक्त, कुल 11 पन्ने।

भवदीय

16.9.16

(प्रो0 राम बरन पटेल)
सदस्य कार्य परिषद
दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 17.12.2016 का कार्यवृत्त

<u>उपस्थिति</u> :

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता	सदस्य
3.	प्रो0 रामबरन पटेल	सदस्य
4.	प्रो0 आर0पी0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 गोपाल प्रसाद	सदस्य
6.	प्रो0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित	सदस्य
8.	डॉ0 (श्रीमती) संगीता पाण्डेय	सदस्य
9.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 ओंकर नाथ मिश्र	सदस्य
11.	डॉ0 (श्रीमती) रिजवाना जमाल	सदस्य
12.	डॉ0 भैरोशंकर उपाध्याय	सदस्य
13.	डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा	सदस्य
14.	प्रो0 एच0पी0 तिवारी	सदस्य
15.	श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी	सदस्य
16.	प्रो0 आर0के0 पाठक	विशेष आमंत्रित
17.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी
18.	कुलसचिव	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य अधिष्ठाता– औषधि संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं प्रो0 यू0पी0सिंह, मु0 राजेन्द्रनगर, पूर्वी, निकट–चिरकुटवा बाबा स्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र, प्राचार्य, श्री भगवान महावीर पी0जी0 कालेज, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर, डॉ0 (श्रीमती) रिजवाना जमाल, प्राचार्य, इमामबाड़ा गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गोरखपुर, डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा, उपाचार्य, समाजशास्त्र विभाग, उदित नारायण पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर एवं प्रो0 यू0पी0 सिंह, मु0– राजेन्द्रनगर पूर्वी, निकट–चिरकुटवा बाबा स्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश

दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की–

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 16.09.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 16.09.2016 के कार्यवृत्त को बिन्दु संख्या 22 के क्रम संख्या 12 पर "विश्वविद्यालय परिसर के सेमेस्टर सिस्टम के परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश–परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की पूर्ण शुल्क मुक्ति" को जोड़ने के साथ सम्पुष्ट किया।**
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 16.09.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 16.09.2016 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या– 19 में "माननीय सदस्य श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी ने इस प्रकरण पर अपनी मौखिकी असहमति दर्ज करायी" को निरसित करते हुए एवं बिन्दु संख्या 22 (4) के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन में "निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है" के स्थान पर "निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी" संशोधित करने का निर्णय लेते हुए शेष कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
3.	कार्य परिषद् ने मा0 कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, पदेन सचिव के पत्र संख्या : ई–9633/जी.एस0 दिनांक 18.10.2016 जो नये कुलपति की नियुक्ति हेतु खोज समिति हेतु कार्यपरिषद् नामिनी नामित करने पर विचार। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से पद्मश्री प्रो0 पुष्पेश पन्त, आचार्य एवं अधिष्ठाता, स्कूल आफ ला, नार्थ कैप यूनिवर्सिटी,**

	गुड़गाँव (हरियाणा) को नये कुलपति की नियुक्ति हेतु खोज समिति (Search Committee) में सदस्य के रूप में नामित किया।
4.	श्री राज्यपाल/कुलाधिपति विशेष कार्याधिकारी, पदेन सचिव के पत्र संख्या ई–8841/7–जी0एस0/2016–viii दिनांक 08.11.2016 जो औषधि की आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों की सम्बद्धता से सम्बन्धित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम–2014 के दिनांक 24.10.2013 से प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावलियों में यथा अपेक्षित संशोधन के सम्बन्ध में है, से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
5.	श्री राज्यपाल/कुलाधिपति विशेष कार्याधिकारी, पदेन सचिव के पत्र संख्या ई–10032/जी0एस0/2016–V दिनांक 21.11.2016 जो राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत इन्स्ट्रक्टर्स को प्रवक्ता पदनाम व वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में है, से अवगत होना। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।**
6.	डॉ0 अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर, इण्डियन ला इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली का आवेदन दिनांक 20.09.2016 जो इस विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक प्रोफेसर पद से टेक्निकल त्याग पत्र देने सम्बन्धी है, पर विचार। **कार्य परिषद् ने डॉ0 अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर, इण्डियन ला इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली का आवेदन दिनांक 20.09.2016 पर विचार करते हुए, इस विश्वविद्यालय के विधि विभाग के सहायक प्रोफेसर पद से टेक्निकल त्याग पत्र को स्वीकार किया।**
7.	कार्यालय आदेश संख्या 9218/सा0प्र0/2016 दिनांक 26.09.2016 द्वारा डॉ0 पूजा सिंह, आचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग को अलकनन्दा महिला छात्रावास की अधीक्षिका पद पर अगस्त, 2016 से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए विस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं

	अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
8.	कार्यालय आदेश संख्या 9294/सा0प्र0/2016 दिनांक 17.10.2016 द्वारा डॉ0 (श्रीमती) निधि चतुर्वेदी, आचार्य, इतिहास विभाग को विश्वविद्यालय परिनियमावली (यथासंशोधित) के परिनियम 02.20 में प्रावधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2016 से तीन वर्ष अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद नियुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
9.	कार्यालय आदेश संख्या 9268/सा0प्र0/2016 दिनांक 08.10.2016 द्वारा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में (कनिष्ठ लिपिक के पद पर) 10 कर्मचारियों के पदोन्नति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
10.	कार्यालय आदेश संख्या 9420/साप्र/2016 दिनांक 09.11.2016, जो मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, कला संकाय के अस्वस्थ होने की स्थिति में तात्कालिक प्रभाव से डॉ0 श्रीकान्त दीक्षित, आचार्य, भूगोल विभाग को दिनांक 02.11.2016 से डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव के पुनः कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य कोई आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अधिष्ठाता, कला संकाय के पद पर नियुक्ति होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
11.	कार्य परिषद् ने यू0जी0सी0 विनियम जून–2010 एवं विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) दिनांक 03.12.2013 के प्रावधान के अनुसार कैरियर एडवान्समेण्ट योजना के अन्तर्गत इतिहास, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत एवं प्राणि विज्ञान विभागों में सहायक आचार्य, चरण–2 से चरण–3 ए0जी0पी0 7000 से

	8000 में प्रोन्नति हेतु दिनांक 09.11.2016 से 11.11.2016 तक सम्पन्न हुई स्क्रीनिक समिति की संस्तुतियों पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 09.11.2016, 10.11.2016 एवं 11.11.2016 को निम्नलिखित विषय में चरण दो से चरण तीन हेतु ए0जी0पी0 रू0 7000 से 8000 में प्रोन्नति हेतु की गयी संस्तुति को स्वीकार करते हुए– (क) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 राम प्यारे मिश्र एवं डॉ0 ध्यानेन्द्र नारायण दूबे, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 रू0 7,000/– प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 रू0 8,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया। (ख) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 निशा जायसवाल, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 रू0 7,000/– राजनीति विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 रू0 8,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया। (ग) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 केशव सिंह, डॉ0 विनय सिंह, डॉ0 सुनील कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ0 श्री कृष्ण तिवारी, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 रू0 7,000/– प्राणि विज्ञान विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 रू0 8,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया। (घ) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मनोज कुमार तिवारी एवं सुधाकर लाल श्रीवास्तव, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 रू0 7,000/– इतिहास विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 रू0 8,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।

	(ङ) कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत डॉ0 मधु सत्यदेव, सहायक आचार्य, (स्टेज दो) ए0जी0पी0 रू0 7,000/– संस्कृत विभाग को सहायक आचार्य, (स्टेज तीन) पे बैण्ड 15,600–39,100 एवं ए0जी0पी0 रू0 8,000/– में अर्हता तिथि से प्रोन्नत करने विषयक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदन प्रदान किया।
12.	कार्य परिषद् ने पेपर लीक प्रकरण पर विभागीय जाँच हेतु गठित समिति की आख्या पर विचार किया। पेपर लीक प्रकरण पर विभागीय जाँच हेतु गठित समिति की आख्या के लिफाफे को खोला गया। जाँच समिति ने अपनी आख्या में लिखा है कि "जाँच से केवल यही साक्ष्य सामने आया है कि उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी मात्र लावरवाही के दोषी हैं और दो मुख्य आरोपी प्रो0 एन0एन0 त्रिपाठी और श्री हरिसिंह रावत सेवानिवृत्त हो गये हैं और उन्हें व्यक्तिगत प्रत्यक्षतः पर्चा आउट करने का दोषी नहीं पाया गया है। अतः इस सतर पर ही यह जाँच समाप्त कर दी जाय। भविष्य में विश्वविद्यालय अधिकारी व कर्मचारीगण इस विषय में सतर्क रहें, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो" पर सम्यक् रूप से विचार किया गया। तत्पश्चात् सर्वसम्मति से पेपर लीक प्रकरण को अन्तिम रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
13.	कार्य परिषद् ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के क्षेत्राधिकार से अलग महाविद्यालयों की सम्बद्धता शुल्क वापसी पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आने तक स्थगित रखा जाय।
14.	अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया–
1.	कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2016 की संस्तुतियों पर विचार किया सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक

	14.12.2016 की संस्तुतियों को स्वीकार किया।
2.	कार्य परिषद् ने कार्य परिषद् उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) 1973 की धारा 37 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी पूर्वानुमति के दृष्टिगत कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशोपरान्त सम्बद्धता प्रदान करने विषयक आदेशों की पुष्टि करने पर विचार किया। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) 1973 की धारा 37 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी पूर्वानुमति सम्बन्धी संलग्न सूची के महाविद्यालयों को निर्गत आदेश को स्वीकार किया गया।**
3.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9587/सा0प्र0/2016 दिनांक 02.12.2016 द्वारा डॉ0 विजय शंकर वर्मा, आचार्य– गणित एवं सांख्यिकी विभाग का डेलीगेसी के उपाध्यक्ष पद का कार्यकाल दिनांक 23.12.2016 तक विस्तारित किये सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
4.	कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश संख्या 9586/सा0प्र0/2016 दिनांक 02.12. 2016 द्वारा डॉ0 अवनीश राय, सहयुक्त आचार्य– अंग्रेजी विभाग द्वारा "Text and The Theatre : A Comparative Study of the Selected Plays of Girish Karnad and Mahesh Dattani" विषय पर प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए दिनांक 01.11.2016 से एक वर्ष के लिए विराम अवकाश (Sabbatical Leave) स्वीकृति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया। **कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
5.	कार्य परिषद् ने श्री राज्यपाल/कुलाधिपति की प्रमुख सचिव के पत्र संख्या ई–8708/7–जी0एस0/2015–एम दिनांक 15.11.2016 जो दीनदयाल उपाध्याय

	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत आचार्य पद पर प्रोन्नत शिक्षकों को शासनादेश एवं पनिनियमावली के अनुसार उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (यथोसंशोधित) 1973 की धारा– 31(8)(ए) एवं उसके उपबन्धों के अधीन चयन समिति की संस्तुतियों सम्बन्धी डॉ0 यशवन्त सिंह, सहयुक्त आचार्य की आचार्य पद पर प्रोन्नति बाबत बन्द लिफाफा खोलने पर विचार किया। इस प्रकरण पर कार्यपरिषद् निम्नलिखित बिन्दुओं पर अवगत हुई– 1. डॉ0 सिंह के प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र सं0 **D.O. No. F-82/2009 (PS)** दिनांक 21.10.2013 के अंश – **Therefore, the Commission has not allowed the University to process the recommendations of the Selection Committee met for the purpose in these cases as the candidature of this candidates have not been considered according to new Regulations 2010.** 2. तत्सम्बन्ध में कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.11.2013 के बिन्दु संख्या– 1 (क)(2) डॉ0 यशवन्त सिंह, उपाचार्य–वनस्पतिविज्ञान विभाग, डॉ0 अजय सिंह, उपाचार्य–प्राणिविज्ञान विभाग एवं डॉ0 बदरे आलम अंसारी– प्राणिविज्ञान विभाग के प्रकरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या एफ–3–82/2009(पीएस) दिनांक 21.10.2013 पर विस्तृत विचार–विमर्श कर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सन्दर्भगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शासनादेश दिनांक 31.12.2010 के साथ–साथ विश्वविद्यालय के परिनियम इत्यादि अभिलेख भेजकर प्रकरण में तद्नुसार विचार कर सहमति प्रदान करने का पुनः अनुरोध आयोग से किया जाये। 3. कार्यपरिषद् के निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया गया, जिससे आयोग ने अपने पत्र सं0 **D.O. No. F-3-82/2009 (PS)** दिनांक 28.04.2014 से स्पष्ट किया कि– "**Any interview held after issuance of these Regulations must be in accordance with the new provision of these Regulations** failing which the UGC will

	constraint to take suitable action against the University according to norms. Hence, you are advised to follow the norms as laid down in Regulations, 2010 for promotion under CAS. तत्पश्चात् राजभवन के पत्र संख्या ई–9015/7–जी0एस0/2015 एम दिनांक 07.10.2015 के अंश – **Therefore, the Commission has not allowed the University to process the recommendations of the Selection Committee met for the purpose in these cases as the candidature of this candidates have not been considered according to new Regulations 2010.** का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय के परिनियम में सम्मिलित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि **डॉ0 यशवन्त सिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, जून 2010 के प्रावधानों के अधीन आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु नये सिरे से पी0बी0ए0एस0 आधारित ए0पी0आई0 आख्या पत्र प्राप्त कराते हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त कराये गये आख्या पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।** इस पर कार्य परिषद् के माननीय सदस्य प्रो0 यू0पी0 सिंह, प्रो0 आर0पी0 सिंह एवं प्रो0 गोपाल प्रसाद ने असहमति दर्ज करायी।
6.	कार्य परिषद् ने श्री महेन्द्र नाथ सिंह, अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 15.12.2016, जो विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के कुछ पदों को ग्रेड पे 1800 के स्थान पर ग्रेड पे 1900 प्रदान करने सम्बन्धी है, पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि इस प्रकरण को वित्त समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष